

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
(पत्र पेटेंट अपीलीय क्षेत्राधिकार)
एल.पी.ए. संख्या 138/2019

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची ।
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला- रांची ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला- रांची ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, लोहरदगा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - लोहरदगा, जिला- लोहरदगा ।
...प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. बाल मोहन प्रसाद, पुत्र रामब्रत साहू, निवासी गांव- लावागैन, डाकघर एवं थाना- कुरु, जिला- लोहरदगा।
2. अरशद इमाम, पुत्र हसन इमाम, निवासी गांव एवं डाकघर- ब्राम्बे, थाना- कांके, जिला- रांची
3. मो. अनीस अख्तर, पुत्र मो. एद्रिस अंसारी, निवासी गांव- नावाडीह, डाकघर- नारी नावाडीह, थाना- किस्को, जिला- लोहरदगा।
4. श्रीमती प्रफुल्लित मेरखा पंप मिंज, पुत्री जीवन मिंज, निवासी गांव- कोचा, डाकघर एवं थाना- किस्को, जिला- लोहरदगा।
5. शंकर साहू, पुत्र स्वर्गीय शोभिया साहू, निवासी गांव एवं डाकघर- निरगनी, थाना एवं जिला- लोहरदगा।
6. मोहम्मद हसन इमाम फिरदौशी, पुत्र अब्दुल गफ्फार, निवासी गांव- ताबर, डाकघर व थाना- सतबरवा, जिला- पलामू।
7. लाल मनोज कुमार नाथ शाहदेव, पुत्र लाल नवल किशोर नाथ शाहदेव, निवासी गांव, डाकघर व थाना किस्को, जिला- लोहरदगा।
8. अब्दुल कुदुस, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वहाब, निवासी गांव- कसियाडीह, डाकघर- नरीनावाडीह, थाना- किस्को, जिला- लोहरदगा।
9. मसूद आलम, पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी गांव, नावाडीह, डाकघर- नारी नावाडीह, थाना- किस्को, जिला-लोहरदगा
10. मणि भगत, पुत्र स्वर्गीय करमा भगत, निवासी गांव और डाकघर- किस्को, थाना- किस्को, जिला- लोहरदगा
.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी
11. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, जिसका कार्यालय न्यू सचिवालय, डाकघर और थाना- बेली रोड, शहर और जिला- पटना (बिहार)

.....प्रतिवादी/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 367/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- धुर्वा, जिला- रांची, झारखंड;
 2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- धुर्वा, जिला- रांची, झारखंड
 3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।
 4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, डाकघर एवं थाना- रांची, जिला रांची।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची, जिसका कार्यालय सिविल कोर्ट परिसर के पास, डाकघर- सामान्य डाकघर, थाना- कोतवाली, जिला- रांची।
- ... अपीलकर्ता/प्रतिवादी**

बनाम

अरबिंद कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय गया दत्त पांडे, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अनगढ़ा, डाकघर और थाना- अनगढ़ा, जिला-रांची और निवासी गांव-ठाकुरा डिड़ा, डाकघर और थाना- लेस्लीगंज, जिला-पलामू

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

साथ

एल.पी.ए. संख्या 368/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड;
 2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड
 3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची, जिसका कार्यालय सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास, डाकघर- जी.डाकघर, थाना- कोतवाली, जिला- रांची ।
- अपीलकर्ता/प्रतिवादी**

बनाम

श्रीमती रेणुका कुमारी पांडे, उमेश पाठक की पत्नी, सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अनगढ़ा, डाकघर एवं थाना - अनगढ़ा, जिला - रांची। वर्तमान में पंचसिल नगर, डाकघर - हेहल, थाना - सुखदेव नगर, जिला - रांची

... .. प्रतिवादी / याचिकाकर्ता

साथ

एल.पी.ए. संख्या 369/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड ;
2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची, जिसका कार्यालय सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास, डाकघर- जी.डाकघर, थाना- कोतवाली, जिला- रांची ।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

अनिल कुमार रुजमोदक, पुत्र श्री गरंग चंद्र रुजमोदक, निवासी ग्राम व डाकघर व थाना - तमार, जिला - रांची तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, तमार, पोस्ट व थाना - तमार, जिला - रांची में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

... ..प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

साथ

एल.पी.ए. संख्या 371/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड ;
2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, डाकघर एवं थाना – रांची, जिला रांची
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची का कार्यालय सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास, डाकघर- जी.डाकघर, थाना- कोतवाली, जिला- रांची।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार वर्मा, पुत्र स्व.चतुर्भुज लाल वर्मा, निवासी के.एम. मल्लिक रोड, लालपुर, और डाकघर एवं थाना - लालपुर, जिला-रांची, झारखण्ड।
2. अशोक कुमार शुक्ल, श्री यदुनाथ शुक्ल के पुत्र, राणा पथ, फ्रेंड्स कॉलोनी, पंडरा, रांची, पो.ओ.- कमरे, थाना-पांड्रा, जिला-रांची, झारखंड ।
3. कृष्णकांत प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय हजारीलाल प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सदन, बिराजनगर, पी एंड टी. कॉलोनी, रांची.
4. मनोज कुमार श्रीवास्तव, स्वर्गीय बिपिन बिहारी वर्मा के पुत्र, रामानंद झा, डेम साइड, कांके रोड, रांची, पोस्ट कांके, थाना-गोंडा, जिला-रांची।
5. श्रीमती. सरिता गुप्ता, पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, बिजय कुमार प्रसाद, रातू रोड, इंद्रपुरी रोड नंबर 6, हेहल, डाकघर रातू रोड, थाना सुखदेव नगर, जिला- रांची ।

... ..प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

साथ

एल.पी.ए. संख्या 379/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड ;

2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, झारखंड .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची, जिसका कार्यालय सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास, डाकघर- जी.डाकघर, थाना- कोतवाली, जिला- रांची है।

... .. **अपीलकर्ता/प्रतिवादी**

बनाम

कुलदीप कुमार सेनगुप्ता, पुत्र स्वर्गीय एन.एन. साहा, ग्राम एवं डाकघर एवं थाना – तमार, जिला – रांची के निवासी हैं तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, तमार, पोस्ट एवं थाना – तमार, जिला – रांची में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं

... ..**प्रतिवादी/याचिकाकर्ता**

साथ

एल.पी.ए. संख्या 427/2019

1. झारखंड राज्य
2. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .
3. मानव संसाधन विभाग के निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना जमशेदपुर, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम .

... .. **प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

शिशिर कुमार मंडल, पुत्र स्वर्गीय निरोद बरन मंडल, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पोटका, सिंहभूम पूर्व, डाकघर एवं थाना पोटका, जिला सिंहभूम पूर्व

...**रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी**

साथ

एल.पी.ए. संख्या 428/2019

1. झारखंड राज्य
2. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .

3. मानव संसाधन विभाग के निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना जमशेदपुर, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मो. जाफर अली, पुत्र स्वर्गीय वहीद अली, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मुसाबनी, सिंहभूम पूर्व, डाकघर एवं थाना मुसाबनी, जिला सिंहभूम पूर्व

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 429/2019

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पूर्व .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. शशि भूषण साव, पुत्र मदन मोहन साव, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मुसाबनी, सिंहभूम पूर्व, निवासी गांव- कुमराशोल, डाकघर एवं थाना डुमरिया, जिला सिंहभूम पूर्व
2. जवाहर लाल महतो, पुत्र सनातन महतो, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मुसाबनी, सिंहभूम पूर्व, निवासी गांव कुमराशोल, डाकघर एवं थाना डुमरिया, जिला सिंहभूम पूर्व

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 431/2019

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना-धुर्वा, शहर और जिला-रांची .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .

4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना जमशेदपुर, जिला-सिंहभूम पूर्व .
... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अजीत कुमार मंडल, पुत्र स्वर्गीय सुधीर चंद्र मंडल, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मुसाबनी, सिंहभूम पूर्व, डाकघर और थाना- मुसाबनी, जिला-सिंहभूम पूर्व

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 432/2019

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम .

... ..प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

खुदी राम महतो, पुत्र स्वर्गीय अभिमन्यु महतो, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, मुसाबनी, सिंहभूम पूर्व, डाकघर और थाना मुसाबनी, जिला सिंहभूम पूर्व

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 433/2019

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला-रांची .
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला-रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम .

... ..प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मो. इश्फाक अहमद, पुत्र मो. रेयाजुद्दीन, सहायक अध्यापक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पोटका, सिंहभूम पूर्व, डाकघर एवं थाना पोटका, जिला- सिंहभूम पूर्व

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 467/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना, दुमका, डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका।

... प्रत्यर्थी/अपीलकर्ता

बनाम

हरिहर प्रसाद साहा, दीन दयाल साहा के पुत्र, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गोपीकांदर, पीओ के सहायक शिक्षक। एवं थाना गोपीकांदर, जिला-दुमका, निवासी ग्राम-केलाबरही, डाकघर केलाबरही, थाना राधानगर, जिला साहेबगंज।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 472/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना, दुमका, डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।

....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

शशिकांत चौबे, पुत्र श्री सहदेव चौबे, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गोपीकांदर, डाकघर एवं थाना-गोपीकांदर, जिला-दुमका के सहायक शिक्षक, ग्राम-कृष्णापुरी कॉलोनी माल, डाकघर एवं थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़ के निवासी।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 485/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर एवं थाना - सदर मेदनीनगर, जिला- पलामू।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना- गढ़वा, जिला-गढ़वा .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बीरेंद्र कुमार तिवारी, पुत्र स्वर्गीय अशर्फी तिवारी, बंसीधारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, भंडरिया, डाकघर एवं थाना- भंडरिया, जिला- गढ़वा के सहायक शिक्षक, ग्राम- अटोला, डाकघर एवं थाना- मेराल, जिला- गढ़वा के निवासी। **... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी**

साथ

एल.पी.ए. संख्या 490/2019

1. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, डाकघर एवं थाना - रांची, जिला - रांची
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा .।प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुभाषिश चटर्जी, पुत्र स्वर्गीय फणी भूषण चटर्जी तथा निवासी ग्राम - पथुरिया, डाकघर एवं थाना - जरीडीह, जिला - बोकारो, वर्तमान में शिव दयाल नगर, हरमू, डाकघर - हरमू, थाना - अरगोड़ा, जिला - रांची

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 491/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।

2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर एवं थाना – सदर मेदनीनगर, जिला – पलामू।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना - गढ़वा, जिला- गढ़वा। प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अंगलेश दुबे, स्वर्गीय राम लगन दुबे के पुत्र, प्रोजेक्ट बंशीधारी बालिका उच्च विद्यालय, भंडरिया, डाकघर और थाना - भंडरिया, जिला- गढ़वा के सहायक शिक्षक, ग्राम - भंडरिया, डाकघर और थाना - भंडरिया, जिला- गढ़वा.

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 507/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू, डाकघर एवं थाना – मेदनीनगर, जिला – पलामू।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – मेदनीनगर, जिला- पलामू .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुधीर प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय बिदेशी साव, निवासी ग्राम – तरहसी, डाकघर एवं थाना – तरहसी, जिला - पलामू।

... ..रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 508 ऑफ 2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, डाल्टनगंज, डाकघर एवं थाना – डाल्टनगंज, जिला – पलामू।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – डाल्टनगंज, जिला – पलामू।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

चंद्रिका महतो, पुत्र स्वर्गीय तिलक महतो, ग्राम – मझिगांवा, डाकघर – बलियारी, थाना – तरहारी, जिला – पलामू के निवासी हैं तथा रामधन साहू प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, लेस्लीगंज, डाकघर एवं थाना – लेस्लीगंज, जिला – पलामू में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। ...

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 509/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला- रांची .;
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू, डाकघर एवं थाना - मेदनीनगर, जिला - पलामू
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - मेदनीनगर, जिला - पलामू

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मोहम्मद कलीम, पुत्र मोहम्मद इस्माइल, निवासी ग्राम छकनाडीह, डाकघर एवं थाना – तरहसी, जिला – पलामू

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 530/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला रांची .
2. निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू, डाकघर एवं थाना मेदनीनगर, जिला पलामू
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना मेदनीनगर, जिला पलामू .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अनवर हुसैन, पुत्र स्वर्गीय हबीब खलीफा, निवासी ग्राम चैनपुर, डाकघर एवं थाना चैनपुर, जिला पलामू

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 531/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- चतरा, जिला- चतरा।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

आनंद कुमार सिन्हा, पुत्र सुरेश प्रसाद, निवासी ग्राम- प्रतापपुर, डाकघर एवं थाना- प्रतापपुर, जिला- चतरा।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 533/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, जिला- रांची।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला-हजारीबाग। 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- कोडरमा, जिला-कोडरमा .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

निर्मल सिंह, पुत्र स्वर्गीय युवराज सिंह, निवासी ग्राम-मरकच्चो, डाकघर एवं थाना-मरकच्चो, जिला- कोडरमा।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 534/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना हजारीबाग, जिला-हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना चतरा, जिला चतरा .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

रवींद्र नाथ सिंह, पुत्र श्री गया प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम- नवाडीह, डाकघर खाड़ेया, थाना-टंडवा, जिला- चतरा।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ
एल.पी.ए. संख्या 535/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय झारखंड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय झारखंड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
3. जिला शिक्षा अधिकारी, गुमला, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना गुमला, जिला गुमला

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. वासुदेव दास, पुत्र स्वर्गीय बनमाली दास, शास्त्रीनगर, गुमला, डाकघर, थाना एवं जिला गुमला
... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी
2. प्रधानाचार्य, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बिशुनपुर, डाकघर, थाना एवं जिला गुमला
... .. प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

साथ
एल.पी.ए. संख्या 536, 2019

1. झारखंड राज्य।
2. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
3. मानव संसाधन विकास विभाग के निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सरायकेला-खरसावां, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - सरायकेला-खरसावां, जिला- सरायकेला-खरसावां (जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

प्रद्योत कुमार मंडल, पुत्र स्वर्गीय गोविंद चंद्र मंडल, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पोटका, सिंहभूम पूर्व, निवासी गांव - हेसलबिल, डाकघर और थाना - पोटका, जिला - सिंहभूम पूर्व।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ
एल.पी.ए. संख्या 560/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना चतरा, जिला चतरा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुरेश मिश्रा, पुत्र उमा शंकर मिश्रा, निवासी ग्राम नारायणपुर, डाकघर नारायणपुर, थाना प्रतापपुर, जिला चतरा

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 575/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

धनेश्वर यादव, पुत्र श्री छत्र धारी यादव, निवासी ग्राम- कुसाहन, डाकघर-हिरोडीह, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 576/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा .।

... ..प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुनील कुमार रे, पुत्र किसुन राय, निवासी ग्राम एवं डाकघर-अचलजामु, थाना-विष्णुगढ़, जिला- हजारीबाग।

... ..रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ
एल.पी.ए. संख्या 577/2019

1. झारखंड राज्य, मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।
2. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला-हजारीबाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना-सदर, जिला-चतरा।

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. दिलीप कुमार सिन्हा, पुत्र श्री मदन मोहन प्रसाद,
 2. निरूप कुमार सिन्हा, पुत्र श्री मदन मोहन प्रसाद,
- दोनों सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, प्रतापपुर, डाकघर और थाना प्रतापपुर, जिला-चतरा।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ
एल.पी.ए. संख्या 589, 2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
2. झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के प्रधान सचिव, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के निदेशक, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला - कोडरमा .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सहदेव यादव, पुत्र श्री छत्रधारी यादव निवासी ग्राम - कुशाहन, डाकघर - हीरोडीह, थाना - जयनगर, जिला - कोडरमा, तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, जयनगर, डाकघर एवं थाना - जयनगर, जिला - कोडरमा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 591/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, प्रमंडल, संधान परगना, दुमका, डाकघर और थाना दुमका, जिला दुमका
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना गोड्डा, जिला गोड्डा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

विष्णुदेव मांझी, पुत्र स्वर्गीय जगदेव मांझी, निवासी गांव-पिलुवा, डाकघर पिलुवा झरना, थाना बोन्सी, जिला भागलपुर (बिहार)

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 594/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, प्रमंडल, संधाल परगना, दुमका, डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना गोड्डा, जिला गोड्डा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुभाष टुडू, पुत्र स्वर्गीय आनंद टुडू, निवासी ग्राम मोहनपुर, डाकघर चंदनहाट, थाना सुन्दर पहाड़ी, जिला गोड्डा

..... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 595/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।

2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
 4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग।
 5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग .।
-प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

राम कुमार दुबे, पुत्र हर गोविंद दुबे, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बिष्णुगढ़, डाकघर और थाना बिष्णुगढ़, जिला हजारीबाग के सहायक शिक्षक, ग्राम बिष्णुगढ़, डाकघर और थाना-बिष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के निवासी।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 618/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहिबगंज जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- साहिबगंज, जिला- साहिबगंज .।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

लोविन चंद्र रे, स्वर्गीय नकुल रे के पुत्र, ग्राम- जिवांको, खुटहरी, पो.- भगेया, थाना- ठाकुर गंगटी, जिला- गोड्डा के निवासी।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 619/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर, थाना एवं जिला- दुमका .।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

विनय कुमार सेन, पुत्र स्वर्गीय नकुल चंद्र सेन, निवासी मोहल्ला- कुम्हारपारा, पी.ओ- दुमका, पी.एस- टाउन थाना, जिला- दुमका।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 620, 2019

1. झारखंड राज्य
2. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .
3. मानव संसाधन विभाग के निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - बोरियो, जिला- साहेबगंज

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

- 1.1) प्रेमलता पत्नी स्वर्गीय बिजय कुमार आर्य, निवासी बिशनपुर, बरहरवा साहेबगंज, जिला साहेबगंज झारखंड
- 1.2) प्रविजीत आर्य पुत्र स्वर्गीय बिजय कुमार आर्य, निवासी बिशनपुर, बरहरवा साहेबगंज, जिला साहेबगंज झारखंड
- 1.3) प्रसेनजीत आर्य पुत्र स्वर्गीय बिजय कुमार आर्य, निवासी बिशनपुर, बरहरवा साहेबगंज, जिला साहेबगंज झारखंड
- 1.4) विश्वप्रभा आर्य (विवाहित) पुत्री स्वर्गीय बिजय कुमार आर्य, निवासी बिशनपुर, बरहरवा साहेबगंज, जिला साहेबगंज झारखंड (दिनांक 17.01.2023 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित)

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 621/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला- कोडरमा .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

देवनारायण यादव, पुत्र श्री चमन यादव, ग्राम - तरवन, डाकघर एवं थाना - जयनगर, जिला - कोडरमा के निवासी हैं तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, जयनगर, डाकघर एवं थाना - जयनगर, जिला - कोडरमा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 622/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .;
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला- पाकुड़ .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. श्यामलाल साहा, पुत्र स्वर्गीय दुर्गा चरण साहा, निवासी ग्राम - बड़ा सोनाकोड़, डाकघर - कोटाल पोखर, थाना - हिरणपुर, जिला - पाकुड़ और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हिरणपुर डाकघर और थाना - हिरणपुर, जिला - पाकुड़ में सहायक शिक्षक के रूप में तैनात रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी
2. तीन पुरुषों की समिति अपने संयोजक अर्थात् मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .

... .. प्रतिवादी/प्रोफ़ॉर्मा प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 624/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना- रामगढ़, जिला- रामगढ़।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

इंद्रनाथ साहू, पुत्र स्वर्गीय टेकन साओ, निवासी गांव और डाकघर- मांडू, थाना- मांडू, जिला- रामगढ़।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 625/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, डाकघर एवं थाना सदर, जिला-रांची।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना गुमला, जिला गुमला .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

पुत्री कुमारी, स्वर्गीय मंगरा भगत की पुत्री, सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, घाघरा, डाकघर और थाना घाघरा, जिला-गुमला, तथा ग्राम-घाघरा, डाकघर और थाना- घाघरा, जिला-गुमला की निवासी।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 632/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना पाकुड़, जिला पाकुड़ .।

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. सुरेंद्र सोरेन, पुत्र दुगु सोरेन, निवासी ग्राम-तालझारी, डाकघर एवं थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़ और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, लिट्टीपाड़ा, पोस्ट और पीएस लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़ में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. तीन सदस्यीय समिति, इसके संयोजक, अर्थात् मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और पीएस धुर्वा, शहर और जिला रांची .।

... प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 633/2019

1. झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. झारखंड सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

दिवाकर प्रसाद, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद, निवासी ग्राम - बिष्णुगढ़, डाकघर एवं थाना - बिष्णुगढ़, जिला - हजारीबाग, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बिष्णुगढ़, डाकघर एवं थाना - बिष्णुगढ़, जिला - हजारीबाग में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 634/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, डाकघर - जीपीओ, थाना - कोतवाली, शहर एवं जिला - रांची।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, लोहरदगा, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना - लोहरदगा, जिला - लोहरदगा .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

राम कुमार साहू, पुत्र श्री बेला साहू, निवासी ग्राम - भंडरा, डाकघर एवं थाना - भंडरा, जिला - लोहरदगा।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 635/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - रामगढ़, जिला - रामगढ़ .।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

कंचन कुमार, पुत्र स्वर्गीय चतुरगन साहू, निवासी गांव एवं डाकघर - मांडू, थाना -मांडू, जिला-रामगढ़।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 636/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर, रांची, डाकघर-जी.डाकघर, थाना कोतवाली, शहर एवं जिला-रांची।
5. संयोजक, तीन सदस्यीय समिति, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुरेंद्र नाथ रॉय, पुत्र श्री हरिमोहन रॉय, निवासी ग्राम- नौरही, डाकघर नौरही, थाना अरकी, जिला खूंटी तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अरकी, डाकघर एवं थाना- अरकी, जिला- खूंटी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 637/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला - पाकुड़ .।
..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

ओम प्रकाश मंडल, पुत्र श्री धनंजय मंडल निवासी ग्राम - लिट्टीपारा, डाकघर एवं थाना - लिट्टीपाड़ा,
जिला- पाकुड़।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 638/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना पाकुड़, जिला पाकुड़

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. खरन चंद्र साहा, पुत्र स्वर्गीय अमीर साहा, निवासी ग्राम तारापुर, डाकघर एवं थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़
2. तीन पुरुषों की समिति, अपने संयोजक, अर्थात्, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची .,

... .. प्रत्यर्थी/परफॉर्म प्रत्यर्थी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 639, 2019

1. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला-रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना पाकुड़, जिला पाकुड़ .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. दिगम्बर साहा, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद साहा, निवासी ग्राम हिरणपुर, डाकघर एवं थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. तीन सदस्यीय समिति, अपने संयोजक के माध्यम से, अर्थात्, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।

... ..प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 640/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – पाकुड़, जिला – पाकुड़ .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

प्रदीप कुमार जायसवाल, पुत्र श्री शेषनाथ जायसवाल निवासी गांव – पाकुड़, डाकघर एवं थाना – पाकुड़, जिला – पाकुड़।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

साथ

एल.पी.ए. संख्या 642/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

कैलाश प्रसाद राण, पुत्र जगदीश राण, निवासी ग्राम- कर्मा, पी.ओ- बूँदावन, पी.एस- चौपारण, जिला- हजारीबाग।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 643/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं पी.एस- हजारीबाग, जिला-हजारीबाग
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग,

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बैजनाथ महतो, पुत्र बिसे महतो, निवासी ग्राम गरगली, डाकघर-मांडू, थाना-मांडू, जिला-रामगढ़
...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 662/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रामगढ़, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना- रामगढ़, जिला- रामगढ़ .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

दिनेश कुमार, पुत्र स्वर्गीय सीताराम गुप्ता, निवासी मोहल्ला- राम नगर, पेट्रोल पंप के पास, डाकघर-हजारीबाग, जिला- रामगढ़।
... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 684/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला-हजारीबाग .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अजीत नारायण पांडेय, पुत्र श्री रामशरण पांडेय, निवासी ग्राम- कंटाहीचक, पी.ओ- लोराम, पी.एस- चतरा, जिला- चतरा, वर्तमान में ग्राम- जोरडीह, पी.ओ- परसौनी, पी.एस- चतरा, जिला- चतरा में रह रहे हैं।
... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 686/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - चतरा, जिला- चतरा .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. राजेंद्र कुमार प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय रामदेव प्रसाद, निवासी ग्राम-प्रतापपुर, डाकघर एवं थाना-प्रतापपुर, जिला-चतरा।
2. किरण कुमारी, पत्नी मुकेश रंजन वर्मा, निवासी ग्राम-सिंहेसर, डाकघर एवं थाना-सिंहेसर, जिला-मधेपुरा (बिहार)।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 691/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा .।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्रभु शर्मा, निवासी ग्राम- संर, डाकघर- संर, थाना- सिरदला, जिला- नवादा (बिहार)।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 692/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची के माध्यम से
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना कोडरमा, जिला कोडरमा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. शकलदेव प्रसाद यादव, स्वर्गीय महावीर यादव के पुत्र, ग्राम-सरबाहना, डाकघर माधोपुर, थाना-सतगावां, जिला कोडरमा के निवासी हैं और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सतगावां, डाकघर और थाना सतगावां, जिला कोडरमा में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. तीन सदस्यीय समिति, अपने संयोजक, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .

... .. प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 694/2019

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, डाकघर – जीपीओ, थाना – कोतवाली, शहर एवं जिला – रांची।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – गुमला, जिला – गुमला .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

उदय कुमार प्रसाद, पुत्र श्री बलराम प्रसाद, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पालकोट, डाकघर एवं थाना-पालकोट, जिला-गुमला के पद पर कार्यरत हैं और ग्राम-चैनपुर, डाकघर-टेंगरिया, थाना-पालकोट, जिला-गुमला के निवासी हैं। **...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी**

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 695/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना कोडरमा, जिला कोडरमा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

हरिहर प्रसाद बर्नवाल, पुत्र श्री जाटो मोदी, निवासी ग्राम मरकच्चो, डाकघर और थाना मरकच्चो, जिला कोडरमा

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 698/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दुमका डिवीजन, दुमका, डाकघर और थाना दुमका, जिला दुमका
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना गोड्डा, जिला गोड्डा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

प्रबोध कुमार मिश्रा, पुत्र कमलेश्वरी प्रसाद मिश्रा, सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त), श्रीमती नागेश्वरी देवी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, कसबा, डाकघर कसबा – धुधीचक वाया ईशीपुर, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा, ग्राम कसबा, डाकघर कसबा – धुधीचक, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा के निवासी

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 702/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना – धुर्वा, शहर और जिला – रांची .।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना – धुर्वा, शहर और जिला – रांची .।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सरायकेला - खरसावां, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – सरायकेला-खरसावां, जिला-सरायकेला-खरसावां.

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. झरी राम महतो, स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ महतो के पुत्र, सहायक शिक्षक, शत्रुघ्नादित्य पोर्जेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, खूंटी, पो.ओ. एवं थाना – खूंटी, जिला – सरायकेला – खरसावां.
2. बिजय कुमार सिंह, पुत्र श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, शत्रुघ्नादित्य पोर्जेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, खूंटी, पो.आ. एवं थाना – खूंटी, जिला – सरायकेला – खरसावां.

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 703/2019

1. झारखंड राज्य
 2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .
 3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, सरायकेला-खरसावां, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - सरायकेला-खरसावां, जिला- सरायकेला-खरसावां .
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

1. संतोष कुमार नापित, स्वर्गीय नकुल चंद्र नापित के पुत्र, प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गौरांगकोचा, डाकघर - गौरांगकोचा, थाना - इचागढ़, जिला - सरायकेला-खरसावां
2. अमीन चंद्र महतो, स्वर्गीय उमेश चंद्र महतो के पुत्र, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गौरांगकोचा, डाकघर - गौरांगकोचा, थाना - इचागढ़, जिला - सरायकेला-खरसावां

... ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 706 ऑफ 2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची .।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा .।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

कामेश्वर पांडेय, पुत्र स्वर्गीय लाटो पांडेय, निवासी ग्राम एवं डाकघर- देवीपुर, खेर्मी, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा।

... ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 710/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- गोड्डा, जिला- गोड्डा .।
- **प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

संतोष कुमार गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय राम शंकर राम, निवासी ग्राम- बैरीस्टैंड, डाकघर- सुंदर पहाड़ी, थाना- सुंदर पहाड़ी, जिला- गोड्डा।

... .. **रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी**

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 712/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर और थाना दुमका, जिला - दुमका।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - गोड्डा, जिला- गोड्डा .।

.....**प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

योगेश्वर राम, पुत्र बिसु राम, निवासी ग्राम - लक्ष्मी, डाकघर - जमनी पहाड़पुर, थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा।

...**रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी**

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 713/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना-दुमका, जिला-दुमका
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना- गोड्डा, जिला-गोड्डा

... .. **प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

पवन कुमार मिश्रा, स्वर्गीय दीप नारायण मिश्रा के पुत्र, सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त) नागेश्वरी देवी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, काशबा, डाकघर मेहरमा, थाना मेहरमा, जिला. गोड्डा, निवासी गांव - काशबा, डाकघर और थाना मेहरमा, जिला-गोड्डा

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 714/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना - दुमका, जिला - दुमका।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा .। प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मृणालिनी मुर्मू, स्वर्गीय रुबेल मरांडी की विधवा, निवासी गांव - सुंदर पहाड़ी, डाकघर एवं थाना - सुंदर पहाड़ी, जिला - गोड्डा।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 715/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला - कोडरमा .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

राजेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र श्री बनवारी महतो, निवासी ग्राम - समलडीह, डाकघर - बासोडीह, थाना - सतगावां, जिला - कोडरमा तथा सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सतगावां, डाकघर एवं थाना - सतगावां, जिला - कोडरमा के पद पर पदस्थापित।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 716/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना .। धुर्वा, शहर और जिला रांची

2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर और थाना दुमका, शहर और जिला दुमका
5. जिला शिक्षा अधिकारी, साहेबगंज (अब पाकुड़) जिसका कार्यालय डाकघर और थाना साहेबगंज, जिला साहेबगंज .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

प्रभाकर मिश्रा, पुत्र फणींद्र मिश्रा, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाकुड़हिया, डाकघर और थाना पाकुड़हिया, जिला साहेबगंज और ग्राम कजरदाहा, डाकघर एवं थाना सिकरीपर्या, जिला साहेबगंज (अब पाकुड़) के निवासी

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 717/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना - दुमका, शहर और जिला - दुमका।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - पाकुड़, जिला - पाकुड़ .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अजीत कुमार सिंह, शंभू नाथ सिंह के पुत्र, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाकुड़हिया, डाकघर और थाना - पाकुड़हिया, जिला - पाकुड़ में सहायक शिक्षक, गांव - पाकुड़हिया, डाकघर और थाना - पाकुड़हिया, जिला - पाकुड़ के निवासी।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 718/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर और पी.एस- धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दुमका, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका (अब नव निर्मित जिला- पाकुड़), जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- पाकुड़, जिला- पाकुड़ .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

जुलिन टुडू, स्वर्गीय अमीन टुडू के पुत्र, प्रोजेक्ट हाई स्कूल पाकुड़िया में सहायक शिक्षक, डाकघर एवं थाना- पाकुड़िया, जिला- पाकुड़ के निवासी, गांव- बुचपहाड़ी, डाकघर- लकदुम चौकीशाल, थाना- पाकुड़िया, जिला- पाकुड़।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 726/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - जमशेदपुर, जिला - सिंहभूम पूर्व .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

पूरन चंद्र, पुत्र स्वर्गीय काशीनाथ महतो, सहायक शिक्षक, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, डुमरिया, सिंहभूम पूर्व, निवासी ग्राम - डुमरिया, डाकघर एवं थाना - डुमरिया, जिला - सिंहभूम पूर्व।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 730/2019

1. झारखंड राज्य, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू डाकघर एवं थाना- पलामू जिला- पलामू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- पलामू जिला- पलामू .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

रविन्द्र पाठक, स्वर्गीय मणिबंश पाठक के पुत्र, सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त) प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई, तरहसी, डाकघर एवं थाना- तरहसी, जिला- पलामू, ग्राम- भंडारी, डाकघर एवं थाना- तरहसी, जिला- पलामू के निवासी।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 732/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना चतरा, जिला-चतरा

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुषमा कुमारी, पत्नी सुरेश मिश्रा, निवासी गांव एवं डाकघर नारायणपुर, थाना- प्रतापपुर, जिला-चतरा

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 752/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना पाकुड़, जिला पाकुड़

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सत्येंद्र कुमार झा, पुत्र गणेश दत्ता झा, निवासी अमरापाड़ा, डाकघर एवं थाना अमरापाड़ा, जिला पाकुड़

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 753/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर एवं थाना- मेदनीनगर, जिला- पलामू।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- गढ़वा, जिला- गढ़वा .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अजय कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय अंबिका प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम-भवनाथपुर, डाकघर एवं थाना- भवनाथपुर, जिला-गढ़वा।

... ..रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 754/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना- हजारीबाग, जिला-हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला - कोडरमा .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

राम कृष्ण यादव, पुत्र स्वर्गीय नानू यादव, निवासी ग्राम - डुमरी, डाकघर - सरमाटांड, थाना - जय नगर, जिला - कोडरमा।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 755/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

राज किशोर प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद, निवासी ग्राम - मड़ई कला, हजारीबाग, डाकघर - सुधार विद्यालय, थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग, वर्तमान में न्यू कॉलोनी, बरही, डाकघर और थाना - बरही, जिला - हजारीबाग में रहते हैं।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 760/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला- रांची .;
2. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची, डाकघर और थाना .। - धुर्वा, नगर एवं जिला - रांची
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, नगर एवं जिला - रांची .
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला - कोडरमा .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

महेन्द्र प्रसाद यादव, पुत्र स्वर्गीय बनवारी महतो, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सतगावां, निवासी गांव - समलडीह, डाकघर - बासोडीह, थाना - सतगावां, जिला - कोडरमा

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 773, 2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .;
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची है
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला- पाकुड़ .
5. तीन पुरुषों की समिति अपने संयोजक अर्थात् मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा एवं जिला रांची (अब बंद)

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मोहम्मद मुस्तस्फा, मोहम्मद अब्दुल मजीद के पुत्र, गांव- हथकटी, डाकघर एवं थाना - हिरणपुर, जिला - पाकुड़ के निवासी, तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हिरणपुर, डाकघर एवं थाना हिरणपुर, जिला - पाकुड़ में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 774/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना पाकुड़, जिला पाकुड़ .

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

5. तीन सदस्यीय समिति अपने संयोजक के माध्यम से, अर्थात्, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना धुर्वा और जिला रांची (अब निष्क्रिय) (परफॉर्मा)

बनाम

मिथिलेश कुमार भंडारी, पुत्र श्री मुखलाल भंडारी, निवासी गाँव- दुलमी, डाकघर- दुलमी डांगा, थाना- हिरणपुर, जिला- पाकुड़, और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हिरणपुर, डाकघर और थाना में सहायक शिक्षक के रूप में तैनात हैं। हिरणपुर, जिला पाकुड़

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 775/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- पाकुड़, जिला- पाकुड़ .।
5. तीन सदस्यीय समिति, इसके संयोजक अर्थात् मो. सैजाद मोबिन आलम, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर & थाना- धुर्वा, जिला- रांची (अब निष्क्रिय)

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

महेंद्र प्रसाद साहा, पुत्र श्री जोतिन लाल साहा, निवासी ग्राम- कुसमा, डाकघर & थाना- हिरणपुर, जिला- साहेबगंज, तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हिरणपुर, डाकघर & थाना- हिरणपुर, जिला- पाकुड़ में शिक्षक के पद पर पदस्थापित... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 787/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर & थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर & थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

कमलेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री नवल किशोर प्रसाद, निवासी मोगलपुरा, लाला टोली, पटना सिटी, डाकघर और थाना पटना, जिला पटना (बिहार), वर्तमान में कोनरा, पटना रोड, बरही, डाकघर और थाना बरही, जिला हजारीबाग में रह रहे हैं रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 788/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका (अब गोड्डा), जिसका कार्यालय डाकघर & थाना- गोड्डा, जिला- गोड्डा।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

युगल किशोर मिश्रा, पुत्र श्री रुद्र नारायण मिश्रा, निवासी ग्राम- धुधिचक, डाकघर- कस्बा धुधिचक, थाना- मेहरमा, जिला- गोड्डा, सहायक शिक्षक, नागेश्वरी देवी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल महरुआ धुधिचक वाया-ईशीपुर, डाकघर- कस्बा, जिला- गोड्डा।

... .. रिट प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 789/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची ।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला- कोडरमा ।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

ब्रह्मदेव पांडेय, पुत्र स्वर्गीय तुलसी पांडेय, निवासी ग्राम - तिलोकरी, डाकघर एवं थाना - शर्मा टांड, जिला - कोडरमा।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 791/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची;

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - रामगढ़, जिला - रामगढ़ ।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

चौधरी मुसहर, पुत्र श्री बिपत मुसहर, निवासी ग्राम - मंडुडीह, डाकघर - मांडू, थाना - मांडू, जिला - रामगढ़

... .. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 792/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला - हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - रामगढ़, जिला- रामगढ़ .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

किशोर कुमार, पुत्र स्वर्गीय फेकन साव, निवासी ग्राम - मांडू, डाकघर - मांडू, थाना - मांडू, जिला - रामगढ़।

....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 831/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग
4. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बिनोद कुमार, पुत्र स्वर्गीय राम किशुन प्रसाद, निवासी ग्राम बिशुनपुर, डाकघर रानीपुर, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा (बिहार), वर्तमान में ग्राम बरही, डाकघर एवं थाना बरही, जिला हजारीबाग में निवासरत हैं

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 838/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची;
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला - पाकुड़
5. सिविल अपील संख्या 6626/2001 दिनांक 3.1.2006 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में गठित तीन पुरुषों की समिति, इसके संयोजक मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, जिला रांची (अब निष्क्रिय) के माध्यम से

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता
बनाम

परमानंद पांडे, स्वर्गीय बलभद्र पांडे के पुत्र, गांव - नवादा, डाकघर - पत्थरघट्टा, थाना - कहलगांव, जिला-भागलपुर (बिहार) के निवासी और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़िया, डाकघर एवं थाना - पाकुड़िया, जिला-पाकुड़ में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त

... .. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 839/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची ।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची ।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला- पाकुड़ ।

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

विवेकानंद तिवारी, पुत्र श्री सहदेव प्रसाद तिवारी, ग्राम- कामदेवपुर, डाकघर- कामदेवपुर, थाना- अमरपुर, जिला- बांका (बिहार) के निवासी हैं और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, लिट्टीपाड़ा, डाकघर एवं थाना- लिट्टीपाड़ा, जिला- पाकुड़ में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं।
... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 844/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची

2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, टाउन एवं जिला रांची .
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गुमला, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना गुमला, जिला गुमला

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. कुंवर प्रसाद, श्री खेदन प्रसाद के पुत्र, ग्राम चैनपुर, डाकघर टेंगरिया, थाना पालकोट, जिला गुमला के निवासी तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पालकोट, डाकघर एवं थाना पालकोट, जिला गुमला के सहायक शिक्षक ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी
2. श्री मेन कमेटी, इसके संयोजक मो. शैयद मोबिन आलम स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला रांची

... प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 845/2019

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची ।
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सुरेश प्रसाद यादव, पुत्र श्री बासुदेव प्रसाद यादव, निवासी ग्राम – बैजाडा, डाकघर – बैजाडा, थाना – सिरदला, जिला – गया (बिहार) तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सतगावां, डाकघर एवं थाना – सतगावां, जिला- कोडरमा (झारखंड) में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 846/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना पाकुड़, जिला पाकुड़
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

बिमलेंदु दास, भबेश चंद्र दास के पुत्र, गांव रोड़ीपुर, डाकघर रोड़ीपुर, थाना-महेशपुर राज, जिला पाकुड़ के निवासी हैं और हेडमास्टर, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाकुड़िया, डाकघर और थाना पाकुड़िया, जिला के रूप में तैनात हैं। पाकुड़

... ..रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

1. सिविल अपील संख्या 6626-75/2001 दिनांक 3.1.2006 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार गठित तीन पुरुषों की समिति, इसके संयोजक, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, पोस्ट और थाना - हिनू, जिला रांची (अब निष्क्रिय) के माध्यम से

.....प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 847/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं पी.एस- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं पी.एस- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं पी.एस- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
 4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं पी.एस- चतरा, जिला- चतरा ।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

अमरजीत, पुत्र श्री शिव शरण सिंह, निवासी ग्राम- बनसाडी, डाकघर एवं थाना- सिमरिया, जिला- चतरा, वर्तमान में न्यू एरिया, तीसरी लेन, डाकघर- हजारीबाग, थाना- सदर, जिला- हजारीबाग में रह रहे हैं।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 848/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची ।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर और जिला- रांची।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना- पाकुड़, जिला-पाकुड़

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मधुसूदन रक्षित, स्वर्गीय रत्नाकर रक्षित के पुत्र, हिरणपुर बाजार गांव के निवासी, डाकघर और थाना- हिरणपुर, जिला-पाकुड़ और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हिरणपुर, डाकघर और थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़ में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 853/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, डाकघर एवं थाना - हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - कोडरमा, जिला- कोडरमा ।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. सरोज देवी, पत्नी स्वर्गीय प्रभाश कुमार साहू, निवासी ग्राम-जय नगर, डाकघर एवं पी.एस-जय नगर, जिला-कोडरमा।
2. पूजा कुमारी, पुत्री स्वर्गीय प्रभाश कुमार साहू, निवासी ग्राम-जय नगर, डाकघर एवं पी.एस-जय नगर, जिला-कोडरमा।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 854/2019

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची . धुर्वा, शहर और जिला रांची
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर और थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू (अब लातेहार), जिसका कार्यालय डाकघर और थाना लातेहार, जिला लातेहार

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. नवीन कुमार, स्वर्गीय सुरेश राय के पुत्र, निवासी ग्राम और पोस्ट बालूमाथ, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार

2. सतेंद्र कुमार शर्मा, स्वर्गीय इंद्रदेव शर्मा के पुत्र, निवासी ग्राम नारदीडीह, पोस्ट नारदीगंज, थाना नारदीगंज, जिला नवादा (बिहार)
 3. उमेश प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण प्रसाद के पुत्र, निवासी ग्राम और पोस्ट बालूमाथ, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार
 4. हरेंद्र कुमार, स्वर्गीय शिवनंदन सिंह के पुत्र, निवासी ग्राम और पोस्ट बालूमाथ, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार
- प्रतिवादी संख्या 1/रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4/रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, बालूमाथ, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार के सहायक अध्यापक हैं।

... ..रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 862/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
 3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- पाकुड़ जिला- पाकुड़
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अब्दुल गफ्फार, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, निवासी गांव एवं डाकघर- उधवा, थाना- राधा नगर, जिला- साहिबगंज।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 863/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, एचईसी क्षेत्र, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची ।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, शहर एवं जिला- दुमका।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, साहेबगंज (अब पाकुड़), जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- पाकुड़, जिला- पाकुड़ .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

अब्दुल लतीफ अंसारी, पुत्र मेराज हुसैन, निवासी गांव- पाकुड़हिया, डाकघर एवं थाना- पाकुड़हिया, जिला- साहेबगंज (अब पाकुड़)।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 864/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – दुमका, जिला – दुमका।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – दुमका, जिला- दुमका।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मो. अलाउद्दीन अंसारी, पुत्र स्वर्गीय सफरुद्दीन मिया, निवासी गांव एवं डाकघर – कालाझेर, डाकघर – कालाझेर, थाना – काठीकुंड, जिला - दुमका।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 865/2019

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला- रांची।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना- पाकुड़ जिला- पाकुड़।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

गिरिधारी दास, पुत्र श्री नेपुर दास, निवासी ग्राम एवं डाकघर - अमरापारा, थाना-अमरापारा, जिला- पाकुड़, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अमरापारा, जिला-पाकुड़ में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. झारखंड राज्य में सिविल अपील संख्या 6626-75/2001 में पारित एपीईडी न्यायालय के आदेश के तहत गठित तीन पुरुषों की समिति, इसके संयोजक (अब निष्क्रिय) के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, जिला-रांची।

..... प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 866/2019

1. मुख्य सचिव के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना चाईबासा, जिला पश्चिमी सिंहभूम

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

रमेश चंद्र महतो, पुत्र गणेश चंद्र महतो, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, कमरडुंगी, सिंहभूम पश्चिम, निवासी ग्राम कमरडुंगी, डाकघर एवं थाना कमरडुंगी, जिला सिंहभूम पश्चिम

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 868/2019

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .;
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना - पाकुड़, जिला - पाकुड़

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. मुस्तकीम शेख, स्वर्गीय अब्दुल हलीम के पुत्र, निवासी गाँव - रादेपुर, डाकघर - रादेपुर, थाना - महेशपुर, जिला - पाकुड़, शिक्षक के रूप में तैनात हैं
2. कृष्ण मोहन भगा, स्वर्गीय कमला प्रसाद भगत के पुत्र, निवासी गाँव - सबलपुर, डाकघर-सबलपुर, थाना - बाराहाट, जिला - बांका (बिहार) शिक्षक के रूप में तैनात हैं
3. हसना हीना, पत्नी मो. मजारुल हक, निवासी रामपुरहाट, डाकघर और थाना - रामपुरहाट, जिला - बीरभूम (पश्चिम बंगाल) शिक्षक के रूप में तैनात थीं, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो गई हैं
4. शालिक कुमार यादव, स्वर्गीय यमुना प्रसाद यादव के पुत्र, निवासी महेशपुर, डाकघर और थाना - महेशपुर, जिला - पाकुड़ में क्लर्क के पद पर पदस्थापित थे अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
5. मंजू मिश्रा, स्वर्गीय मदन मोहन मिश्रा की पत्नी, निवासी गांव - बलिया पतरा, डाकघर - रोलाग्राम, थाना - महेशपुर, जिला - पाकुड़ स्वर्गीय मदन मोहन मिश्रा की विधवा, जो राजीव गांधी प्रोजेक्ट

गर्ल्स हाई स्कूल, महेशपुर, डाकघर एवं थाना – महेशपुर, जिला – पाकुड़ में शिक्षक के पद पर पदस्थापित थे।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 883/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं पी.एस- धुर्वा, जिला- रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं पी.एस- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू, डाकघर एवं पी.एस- मेदनीनगर, जिला- पलामू।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं पी.एस- मेदनीनगर, जिला- पलामू .।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बनारस सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम सेवक सिंह, निवासी गांव- पकरा कला, डाकघर & थाना- पांकी, जिला- पलामू।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 884/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- गोड्डा, जिला- गोड्डा .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

संजीव कुमार चौधरी, पुत्र स्वर्गीय छत्रधारी चौधरी, निवासी ग्राम - मोतिया, पो. - मोतिया-डुमरिया, पं.स. - गोड्डा, जिला - गोड्डा।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 899/2019

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .। 2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची है।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना – धुर्वा, शहर एवं जिला – रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना – कोडरमा, जिला – कोडरमा .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. राज रतनम, पुत्र श्री बिष्णु कुमार सिंह, निवासी गांव एवं डाकघर – सिलाओ, थाना – सिलाओ, जिला – नालंदा (बिहार) और वर्तमान में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सतगावां, डाकघर और थाना – सतगावां जिला- कोडरमा में सहायक शिक्षिका के रूप में तैनात हैं।
2. तीन पुरुष समिति, अपने संयोजक, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर और थाना – धुर्वा, जिला – रांची (अब निष्क्रिय) के माध्यम से।।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

.... प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 900/2019

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, शहर और जिला रांची है।
3. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना धुर्वा, टाउन और जिला रांची है।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सरायकेला-खरसावां, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना सरायकेला-खरसावां, जिला सरायकेला-खरसावां .।

.... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

प्रदीप कुमार महतो, पुत्र श्री उमाकांत महतो, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गौरांगकोचा, डाकघर-गौरांगकोचा, थाना-गौरांगकोचा, जिला- सरायकेला-खरसावां।

..... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 901/2019

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, एचईसी क्षेत्र, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची है
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, पी.ओ- जीपीओ, थाना- कोतवाली, शहर एवं जिला- रांची
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

मुनेश्वर महतो, श्री कोल्हा महतो के पुत्र, गांव सोबरन टोली, कॉलेज रोड, डाकघर और थाना जुरिया, जिला लोहरदगा के निवासी। प्रोजेक्ट बंसीधारी गर्ल्स हाई स्कूल, भंडरा, डाकघर + थाना भंडरा, जिला लोहरदगा के सहायक शिक्षक.

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 25, 2020

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूंटी (पूर्व में रांची), जिसका कार्यालय डाकघर, थाना एवं जिला- खूंटी .।

... .. अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

धरनाथ यादव, पुत्र श्री बिरसा यादव, निवासी ग्राम-गोबईडीह, डाकघर-नवाडीह, थाना-बुंड़ू, जिला-रांची तथा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अरकी, डाकघर एवं थाना-अरकी, जिला-खूंटी में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित।

... .. रिट प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 40, 2020

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, जिला-रांची के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा, डाकघर एवं थाना चाईबासा, जिला पश्चिमी सिंहभूम .।

....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. यशवन्ती सावैयाँ, पुत्री स्वर्गीय दुम्बी सावैयाँ, सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, भरभरिया मंझारी, निवासी ग्राम-भरभरिया, पो. भरभरिया, थाना मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिमी।
2. कश्मीरा बिरुआ, पुत्री स्वर्गीय माधव चंद्र बिरुआ, सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, भरभरिया मंझारी, निवासी ग्राम भरभरिया, पो.-ओ.- भरभरिया, पो.स. मंझारी, जिला- सिंहभूम पश्चिमी।
3. दशमती बिरुआ, पुत्री स्वर्गीय शिव चरण बिरुआ, सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, भरभरिया मंझारी, निवासी ग्राम-भरभरिया, पो.-भरभरिया, थाना- मंझारी, जिला-सिंहभूम पश्चिम।

... ... रिट प्रतिवादी/याचिकाकर्ता

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 55 2020

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, जिला- रांची के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोल्हान प्रमंडल चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- चाईबासा, जिला- सिंहभूम पश्चिम .।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना- चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम।

... ... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

ऋतंभरा कुमारी, पत्नी राज किशोर प्रसाद सहायक शिक्षिका, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, डाकघर-कोटगढ़, थाना- नवामुंडी, जिला- सिंहभूम पश्चिम।

... ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 59, 2020

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।

3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।
 4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना- चाईबासा, जिला- सिंहभूम पश्चिम .।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर और थाना- चाईबासा, जिला- सिंहभूम पश्चिम .।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

रमाशंकर प्रधान, पुत्र स्वर्गीय बहादुरा प्रधान, निवासी गांव- गोलमुंडा, डाकघर एवं थाना- सोनुआ, जिला- सिंहभूम पश्चिम।

... ... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 62/2020

1. झारखंड राज्य
 2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची
 3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - चाईबासा, जिला - सिंहभूम पश्चिम
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

माधव चंद्र कुंकल, स्वर्गीय अभिराम कुंकल के पुत्र, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, भरभारिया, मंझारी, सिंहभूम पश्चिम, ग्रामगाए और पीओ के निवासी। - गितिलिपि, थाना - मंझारी, जिला - सिंहभूम पश्चिमी

... ... याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 73, 2020

1. झारखंड राज्य।
 2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
 4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर, थाना एवं जिला- दुमका .।
 5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।
- प्रतिवादी/अपीलकर्ता**

बनाम

अंजलीना हंसदक, निकोलस टुडू की पत्नी, निवासी ग्राम एवं डाकघर- रंगा, थाना- गोपीकांदर, जिला- दुमका।
... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 107 ऑफ 2020

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना, दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना दुमका, जिला दुमका।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

शुकदेव साह, पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद साह, सहायक अध्यापक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, गोपीकांदर, डाकघर एवं थाना गोपीकांदर, जिला दुमका, निवासी ग्राम काठीकुंड, डाकघर एवं थाना काठीकुंड, जिला दुमका।
..... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 108, 2020

1. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
2. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना, दुमका, डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- दुमका, जिला- दुमका .।
5. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा, रांची।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

राजीव रंजन सिंह, पुत्र स्वर्गीय जगदंबा प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सरैयाहाट, डाकघर एवं थाना- सरैयाहाट, जिला- दुमका, तथा ग्राम- शिव नगर, डाकघर- मोहनी, थाना- पौरैयाहाट, जिला- गोड्डा के निवासी।

... .. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 130/2020

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं पी.एस-धुर्वा, शहर एवं जिला-रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं पी.एस- डाल्टनगंज, जिला-पलामू।

.प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

श्री कृष्ण सिंह, पुत्र श्री उदय नारायण सिंह, निवासी ग्राम-केल्हार, डाकघर & थाना-पाटन, जिला-पलामू, और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाटन, डाकघर & थाना पाटा, जिला पलामू में सहायक शिक्षिका के रूप में तैनात हैं। ...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 132/2020

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, डाकघर & थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, डाकघर & थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन बिल्डिंग, डाकघर & थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर & थाना - डाल्टनगंज, जिला - पलामू।
.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

पुनम सहाय, स्वर्गीय गुलाब चंद प्रसाद की पुत्री, ग्राम - डाल्टनगंज, डाकघर और थाना - डाल्टनगंज, जिला - पलामू की निवासी हैं और प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाटन, डाकघर और थाना - पाटन, जिला - पलामू में सहायक शिक्षिका के रूप में तैनात हैं।

.....रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 142/2020

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, प्रमंडल-पलामू, डाकघर एवं थाना मेदनीनगर, जिला पलामू।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं पी.एस- मेदनीनगर, जिला-पलामू .।

... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

सतीश कुमार दुबे, पुत्र श्री विद्या शंकर दुबे, निवासी ग्राम खिरीबार, डाकघर-पूरबडीहा, थाना चैनपुर, जिला पलामू।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 152/2020

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, शहर एवं जिला - रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर एवं थाना - मेदनीनगर, जिला - पलामू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना - मेदनीनगर, जिला - पलामू .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बिनोद कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय राम लखन पांडे, वर्तमान में इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, तरहसी (मनातू), डाकघर एवं थाना - तरहसी, ब्लॉक - मनातू/तरहसी, जिला - पलामू में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत एवं पदस्थापित हैं।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 153/2020

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, प्रमंडल पलामू, डाकघर एवं थाना मेदनीनगर, जिला पलामू।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना मेदनीनगर, जिला पलामू .।

..... प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

निरंजन प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय जानकी साहू, निवासी ग्राम बेदानी कला, डाकघर एवं थाना तरहसी, जिला पलामू।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 164/2020

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर-एचईसी, क्षेत्र और थाना-धुर्वा, शहर और जिला-रांची .।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, डाकघर-एचईसी क्षेत्र और थाना-धुर्वा, शहर और जिला-रांची .।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन धुर्वा, डाकघर-एचईसी क्षेत्र और थाना-धुर्वा, शहर और जिला-रांची .।
4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना- मेदनीनगर, जिला- पलामू .।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलामू, जिनका कार्यालय डाकघर एवं थाना- मेदनीनगर, जिला- पलामू .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

ऐनुल हक अंसारी उर्फ एनुअल हक, स्वर्गीय अब्दुल हक के पुत्र, ग्राम- तरहसी, डाकघर एवं थाना- तरहसी, जिला- पलामू के निवासी हैं तथा इंदिरा गांधी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, तरहसी, डाकघर एवं थाना- तरहसी, जिला- पलामू में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।
...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ

एल.पी.ए. संख्या 167/2020

1. झारखंड राज्य, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है) के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
2. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग (जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता है), जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना धुर्वा, शहर एवं जिला रांची .।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू, डाकघर एवं थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू, जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू .।

....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. अकरमुल हक, पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अजीज खान,
 2. फहीमुद्दीन खान, पुत्र रोस मोहम्मद खान,
 3. अजय कुमार पांडे, पुत्र स्वर्गीय राम सूरत पांडे,
- सभी राजमाता प्रफुल मंजरी कन्या उच्च विद्यालय, राज चैनपुर, डाकघर और थाना चैनपुर, जिला पलामू के सहायक शिक्षक हैं और सभी गांव- राजचैनपुर, डाकघर और थाना चैनपुर, जिला पलामू, राज्य- झारखंड के निवासी हैं।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 168/2020

1. झारखंड राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन (एचईसी), डाकघर और पी.एस- धुर्वा, शहर और जिला- रांची .।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन (एचईसी), डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना- धुर्वा, शहर एवं जिला- रांची .।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना- मेदनीनगर, जिला- पलामू .।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. सिकंदर चौधरी, पुत्र स्वर्गीय रमेशराय चौधरी, निवासी ग्राम एवं डाकघर- गिद्धा, डेरहगांव, थाना- सासाराम, जिला- रोहतास (बिहार) वर्तमान में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, पाटन, डाकघर एवं थाना- पाटन, जिला- पलामू में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

... रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. तीन सदस्यीय समिति, इसके संयोजक, मोहम्मद सैय्यद मोबिन आलम, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन (एचईसी), डाकघर और थाना- धुर्वा, शहर और जिला- रांची .। (अब निष्क्रिय) **..... प्रतिवादी/प्रपत्र प्रतिवादी**

के साथ
एल.पी.ए. संख्या 219, 2021

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, जिला - रांची के माध्यम से।
2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, जिला - रांची।
3. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिसका कार्यालय टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना - धुर्वा, शहर और जिला - रांची .।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पाकुड़, डाकघर और थाना - पाकुड़, जिला- पाकुड़।

.....प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, उम्र लगभग 63 वर्ष, पुत्र चंद्र शेखर शुक्ला, सहायक शिक्षक प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, अमरापाड़ा, डाकघर एवं थाना अमरापाड़ा, जिला - पाकुड़, तथा निवासी ग्राम - गोविंदपुर, डाकघर इटाहारी, थाना मेहरमा, जिला - गोड्डा।

...रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

2. झारखंड राज्य में सिविल अपील संख्या 6626-81/2001 में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत गठित तीन पुरुषों की समिति, इसके संयोजक (अब निष्क्रिय) के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला - रांची .।

...प्रतिवादी/परफॉर्म प्रतिवादी

के साथ
एल.पी.ए. 2021 की संख्या 245

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा (अब स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग), एमडीआई बिल्डिंग, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, टेलीफोन भवन, धुर्वा (अब स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग), एमडीआई बिल्डिंग, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची।
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, मेदिनीनगर, डाकघर और थाना- मेदिनीनगर, जिला- पलामू।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू डाकघर और थाना- पलामू जिला- पलामू।

... .. प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

बसंत प्रसाद, स्वर्गीय बिंदेश्वरी साव के पुत्र, एक प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रोजेक्ट सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल, डाकघर एवं थाना- पाटन, जिला- पलामू निवासी ग्राम- सामरी, डाकघर एवं थाना-पाटन, जिला- पलामू

... ..याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्रीमती। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी

अपीलकर्ताओं/राज्य के लिए	:	श्री सचिन कुमार, एएजी-द्वितीय श्री गौरव राज, एसी से एएजी-द्वितीय श्री श्रीनु गरपति, एससी-III सुश्री दिव्या, एसी से एससी-III
बिहार राज्य के लिए	:	श्री एस.पी. रॉय, जीए (बिहार) श्री दिवाकर उपाध्याय, जेसी से जीए (बिहार) श्री बिनित चंद्रा, जेसी से जीए (बिहार)
रेस के लिए प्रतिवादी	:	श्री जे.पी. झा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजित कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार, अधिवक्ता श्री संजय कुमार पांडे, अधिवक्ता श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता कुमारी सोनल जयसवाल, अधिवक्ता श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता श्री अरबिंद झा, अधिवक्ता श्रीमती सुभा झा, अधिवक्ता

श्रीमती तेजस्वी, अधिवक्ता
: श्री बिजय कुमार पांडे, अधिवक्ता
सुश्री अंजना कुमारी, अधिवक्ता
: श्री सुबोध कुमार पांडे, अधिवक्ता
: श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

निर्णय

सीएवी 11 दिसंबर 2023
प्रति, श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.

सुनाया गया 19 जनवरी 2024

ये लेटर्स पेटेंट अपीलें झारखंड राज्य द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 921/2011 और अनुरूप मामलों में पारित 5 सितंबर 2018 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं। इनमें से एक अपील (एलपीए संख्या 155/2020) सिविल समीक्षा संख्या 80/2018 से उत्पन्न हुई है, जो झारखंड राज्य द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 5994/2013 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। झारखंड राज्य ने रिट कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2018 के संकल्प में नीतिगत निर्णय को संशोधित करने के लिए जारी निर्देशों की वैधता पर सवाल उठाया है; निर्देशों में से एक अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित करना है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, बिहार राज्य ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में हर ब्लॉक में प्रोजेक्ट स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस संबंध में बिहार राज्य का नीतिगत निर्णय 27 मई 1981 के परिपत्र में निहित था। इस योजना के तहत, प्रत्येक ब्लॉक में अलग-अलग चरणों में एक बालिका उच्च विद्यालय सहित चार प्रोजेक्ट स्कूल स्थापित किए जाने थे। "पहले चरण" में, 150 प्रोजेक्ट स्कूल स्थापित किए गए थे, लेकिन बाद के वर्षों में योजना ठप हो गई और प्रोजेक्ट स्कूल खोलने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। बाद में, बिहार राज्य ने "दूसरे चरण" के दौरान 300 और स्कूलों का चयन करने का निर्णय लिया, जिन्हें प्रोजेक्ट स्कूलों के रूप में लिया जाना था। राज्य सरकार ने पत्र संख्या 108 दिनांक 12 फरवरी 1985 के माध्यम से 75 ऐसे स्कूलों का चयन और अधिसूचना की, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से स्थापित किया जाना था और शेष 225 स्कूलों का चयन करने के लिए एक 3-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस स्तर पर यह बताना आवश्यक है कि प्रथम चरण¹ में प्रोजेक्ट स्कूलों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई थी तथा इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण भी राज्य सरकार के पास ही रहा। दूसरे चरण² में स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधित उच्च विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें प्रोजेक्ट स्कूलों के रूप में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट स्कूलों की स्थापना के लिए विद्यालयों के चयन का तरीका 23 फरवरी 1985 के पत्र में निर्धारित किया गया था जिसके तहत ब्लॉक मुख्यालयों पर विद्यालयों की स्थापना को पहली प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया था कि जिस ब्लॉक में एक से अधिक विद्यालय स्थापित हैं, वहां विद्यालय का चयन स्थापना की अनुमति की तिथि तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर किया जाएगा। "दूसरे चरण"² में शिक्षक की नियुक्ति की योग्यता तथा विद्यालय में शिक्षकों की अधिकतम संख्या में परिवर्तन किया गया तथा इस संबंध में 4 फरवरी 1989 का सरकारी पत्र जारी किया गया। इस सरकारी पत्र के

तहत शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक शर्त यह थी कि वह उस तिथि तक विद्यालय में कार्यरत रहा हो तथा उसकी नियुक्ति विद्यालय की स्थापना की अनुमति दिए जाने से पूर्व प्रबंध समिति द्वारा की गई हो।

3. 4 फरवरी 1989 के सरकारी पत्र को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में रिट याचिकाएँ दायर की गईं और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा विवाद को शांत किया गया। 7 दिसंबर 1999 को "प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (एफ.बी)" में दिए गए निर्णय में, पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि विद्यालयों की स्थापना/अधिग्रहण सरकार द्वारा परिकल्पित योजना के तहत एक सतत प्रक्रिया थी और इसलिए, शिक्षकों के चयन का तरीका और पहले चरण में लागू किए गए मानदंड 1984-85 के दौरान किए गए चयन में लागू किए जाएंगे। यह भी माना गया कि प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका सहित शिक्षकों का स्टाफिंग पैटर्न 12 अक्टूबर 1982 के सरकारी पत्र में निर्धारित किया जाएगा और अप्रशिक्षित शिक्षक भी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ, बिहार राज्य ने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं, जिनका निपटारा "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)" में दिए गए फैसले के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि बिहार राज्य सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड नहीं बदल सकता है और स्पष्ट रूप से माना कि राज्य सरकार के पास नीतिगत निर्णय को वापस लेने या संशोधित करने की शक्ति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों और/या शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के दावों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश जारी किया; इसके अनुसरण में आलम समिति का गठन किया गया।

4. आलम समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कई वर्षों बाद, प्रतिवादियों ने आलम समिति की रिपोर्ट में उन्हें शामिल न किए जाने के खिलाफ कई शिकायतों के साथ रिट याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया। अगले 8 वर्षों की अवधि में लगभग 227 रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें एक साथ जोड़ दिया गया और 5 सितंबर 2018 के एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया गया। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, झारखंड राज्य ने आलम समिति की रिपोर्ट में अनुमोदित न किए गए प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन करने के लिए एक समिति गठित करने का नीतिगत निर्णय लिया। 25 अप्रैल 2018 के संकल्प द्वारा, झारखंड राज्य ने अपने स्थापना से पहले प्रोजेक्ट स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए और शिक्षकों की योग्यता के संबंध में, इसने 4 फरवरी 1989 के पत्र में निर्धारित मानदंडों को अपनाया। रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया।

5. रिट याचिकाओं के उपरोक्त बैच में, रिट कोर्ट द्वारा निम्नलिखित दिशाएँ जारी की गई हैं:

"18. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, राज्य सरकार द्वारा उचित कोरिगेंडम लाने के माध्यम से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण/ सुधार/ परिवर्धन को अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 में लाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए:-

(i) अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित सेवाओं में अवशोषित करना पड़ता है, हालांकि शुरू में अप्रशिक्षित पैमाने पर लेकिन अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/बी.एड को पूरा करने के लिए एक शर्त के साथ। सरकार द्वारा तय की जाने वाली एक निर्धारित समय अवधि के भीतर पाठ्यक्रम। और उक्त पाठ्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें प्रशिक्षित पैमाने के लाभ दिए जा सकते हैं।

(ii) 'अन्य शिक्षकों' (अल्पसंख्यक भाषा, संगीत, कला, वाणिज्य, वरिष्ठता के आधार पर सभी के बीच किसी को भी) का पद मानक मंडल में 9 वें पोस्ट के रूप में स्वीकार किया जाना है। इसके अलावा, शिक्षकों को 04.02.1989 दिनांकित पत्र के प्रभाव में आने से पहले नियुक्त किया गया था और

संबंधित स्कूलों के प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए गए विधिवत रूप से आवश्यक छूट देकर ध्यान रखा जाएगा जैसा कि 1 चरण में शिक्षकों के अवशोषण के दौरान किया गया है।

(iii) जिन मामलों को स्कूलों को बंद किया जाना है, शिक्षकों को नियमित रूप से अन्य सरकारी स्कूलों में समायोजन करके नियमित/अवशोषित किया जाएगा।

(iv) ऐसे गैर-शिक्षण कर्मचारी, जिनके मामलों को अलम कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, इस आधार पर कि बाद में सरकार। एक ही पद पर नियुक्तियों को भी नियुक्त / नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाओं को उसी स्वीकृत पद पर अवशोषित किया जाएगा, और डिपो को उनके मूल कैडर में समायोजित / प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(v) आलम समिति की रिपोर्ट कर्मचारियों के अवशोषण के रास्ते में नहीं आएगी, अगर ऐसे मामलों को आलम समिति द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय (एफबी) के निर्देशों के विपरीत सिद्धांतों पर खारिज कर दिया गया है संघ (सुप्रा), माननीय एपेक्स कोर्ट द्वारा और पैरा -17 में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के खिलाफ, सिद्धांतों के खिलाफ, साथ ही अन्य में इस माननीय अदालत के समन्वय बेंचों के निर्देशों के खिलाफ पुष्टि की। व्यक्तिगत मामलों में याचिकाएं।

(vi) सभी महिला श्रेणी के शिक्षक और हरिजन से संबंधित शिक्षक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो अप्रशिक्षित हैं, अवशोषित हो जाएंगे।

(vii) कुछ रिट याचिकाओं में अवशोषण के लिए उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति का आदेश दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में यहां दिए गए दिशा के प्रकाश में ताजा विचार किया जाएगा, बिना किसी अस्वीकृति के पहले के आदेश से प्रभावित या प्रभावित किए बिना।"

6. झारखंड राज्य द्वारा चुनौती का पहला आधार यह है कि रिट कोर्ट 25 अप्रैल 2018 के संकल्प को कुछ शर्तों को जोड़कर फिर से नहीं लिख सकता है जो झारखंड सरकार की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में आएंगी। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सचिन कुमार ने "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)" में रिपोर्ट किए गए फैसले के पैराग्राफ संख्या 91 पर विशेष जोर दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता तय करना अनिवार्य रूप से एक सरकारी कार्य है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित करने के लिए रिट कोर्ट का निर्देश "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के इस निष्कर्ष को मंजूरी नहीं दी कि 4 फरवरी 1989 का पत्र संख्या 142 जिसमें सहायक शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, मनमाना और भेदभावपूर्ण था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि झारखंड सरकार ने न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर 2007 तक कट-ऑफ तिथि तय करने का नीतिगत निर्णय लिया है और इस कट-ऑफ तिथि को तय करने का एक वैध और उचित आधार है और रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक अलग कट-ऑफ तिथि तय नहीं कर सकता था। झारखंड राज्य के अनुसार, आलम समिति की रिपोर्ट 30 सितंबर 2007 को प्रस्तुत की गई थी और इस तिथि को प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में तय किया गया है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि पत्र संख्या 705 दिनांक 12 अक्टूबर 1982 के अनुसार शिक्षकों की स्वीकृत संख्या, जिसे इस न्यायालय ने "रवींद्र कुमार" में अनुमोदित किया था, को संकल्प संख्या 1272 दिनांक 25 अप्रैल 2018 में अपनाया गया है और रिट कोर्ट ने इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय की अनदेखी करके कानून में गंभीर त्रुटि की है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अप्राप्य शक्ति का प्रयोग करके मानक मंडल में सहायक शिक्षक का एक अतिरिक्त पद सृजित किया है। दूसरी ओर, एलपीए संख्या 491/2019 में प्रतिवादी अंग्रेज दुबे की ओर

से पेश हुए विद्वान वकील श्री संतोष कुमार ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी तीन अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ समानता पर अपनी सेवा को नियमित करने की मांग कर रहा था, जिन्हें 17 अगस्त 2016 के सरकारी आदेश के तहत उसी स्कूल में नियमित शिक्षक के रूप में शामिल किया गया था। अन्य प्रतिवादियों की ओर से, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 25 अप्रैल 2018 के संकल्प में ऐसी शर्तें शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और तर्क के अनुरूप नहीं हैं और इसलिए, रिट कोर्ट अंग्रेज दुबे जैसे शिक्षकों के प्रति हुए अन्याय को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश है।

7. विद्वान वकील ने इस न्यायालय को रिट न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप न करने के लिए मनाने के लिए "एस.एन. मुखर्जी"; "एल. चंद्र कुमार"; "तांतिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड" और "रोजर मैथ्यू" का हवाला दिया, जिसमें रिट न्यायालय की व्यापक शक्तियों और कानून के शासन को बनाए रखने और लागू करने के संवैधानिक कर्तव्य को ध्यान में रखा गया है। विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि रिट न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है, उसका उद्देश्य सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है और जब ऐसा निर्णय सुनाया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति की ओर से देरी और लापरवाही के बारे में आपत्ति नहीं रहती।

8. झारखंड राज्य नियोक्ता होने के नाते न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कट-ऑफ तिथि तय करने और प्रोजेक्ट स्कूलों में शिक्षकों के पद को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। 25 अप्रैल 2018 के संकल्प के तहत, प्रत्येक प्रोजेक्ट स्कूल में नौ पद स्वीकृत हैं और 30 सितंबर 2007 तक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले स्नातक शिक्षक पात्र होंगे। झारखंड राज्य का यह भी निर्णय है कि पाकुड़, साहेबगंज और रांची जिलों के कुछ राजीव गांधी प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल/प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह, झारखंड राज्य द्वारा गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और हजारीबाग जिलों के कुछ स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया। इस सरकारी निर्णय के माध्यम से, प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त सहायक शिक्षकों की सेवाओं को मंजूरी देने के लिए अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। हमारी राय में, झारखंड राज्य द्वारा सहायक शिक्षकों को नियमित करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने के लिए लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कुछ लोग 25 अप्रैल 2018 के संकल्प में दिए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। नियुक्ति, सेवा में नियमितीकरण आदि के मामलों में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन रिट कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठे और इस संबंध में सरकार के फैसले की जांच करे। रिट कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब राज्य द्वारा बनाई गई योजना मनमानी या बिना किसी कारण के या मनमाने ढंग से और केवल अपनी मर्जी से बनाई गई पाई जाए।

9. दिनांक 25 अप्रैल 2018 का संकल्प ज्ञापन संख्या 1646 दिनांक 27 जून 2011 में निहित सरकारी निर्णय का संदर्भ देता है, जिसमें 4 फरवरी 1989 को या उससे पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों और 1 जनवरी 1989 से कार्यरत सहायक अध्यापकों के नियमितीकरण में उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों की जांच करने का प्रावधान है। 27 जून 2011 के कैबिनेट निर्णय के अनुसरण में ऐसे कानूनी और अन्य प्रासंगिक मुद्दों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था और ऐसी समितियों में से एक की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा की गई थी। पांच सदस्यों वाली इस समिति ने 9 अक्टूबर 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आलम समिति द्वारा चयनित न किए गए सहायक अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गईं। 25 अप्रैल 2018 को जारी सरकारी निर्णय में इस न्यायालय के कई आदेशों का भी उल्लेख है और विशेष रूप से सिविल रिट

याचिका संख्या 921/2011 और इसी तरह के मामलों में रिट न्यायालय द्वारा पारित 30 अगस्त 2017 के आदेश का उल्लेख है। यह भी प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा प्रस्तुत 9 अक्टूबर 2017 की रिपोर्ट को विधि विभाग की राय के लिए संदर्भित किया और उसके बाद, मामले को 18 अप्रैल 2018 को कैबिनेट के समक्ष रखा गया। स्पष्ट रूप से, 25 अप्रैल 2018 का संकल्प झारखंड राज्य का नीतिगत निर्णय था।

10. कानून इतना सुस्थापित है कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में यह जांच करना नहीं आता कि कोई विशेष नीतिगत निर्णय बुद्धिमानी भरा और व्यावहारिक है या नहीं या इससे अधिक तार्किक और निष्पक्ष निर्णय हो सकता था। "आर. कृष्णमूर्ति" मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे। यह एक सामान्य कानून है कि रिट न्यायालय कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि नीति मनमानी, अनुचित या अनुचित न पाई जाए। नीति में विकृति और किसी विशेष नीतिगत निर्णय को लेने में दुर्भावना भी नीति को असंवैधानिक बना सकती है, लेकिन रिट कोर्ट वर्तमान मामले में 25 अप्रैल 2018 के संकल्प में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसा कोई आधार नहीं मान सकता था। रिट कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 के संकल्प को संशोधित करने के लिए एक और निर्देश के साथ शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, कट-ऑफ तारीख, स्वीकृत संख्या आदि में ढील देने का निर्देश जारी करके न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का उल्लंघन किया।

11. "प्रीमियम ग्रेनाइट्स" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए रिट न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट किया, जैसा कि नीचे दिया गया है: "54. यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह सार्वजनिक नीति के अज्ञात महासागर में उतरकर यह विचार करे कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमानीपूर्ण है या इससे बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। इस तरह के अभ्यास को कार्यकारी और विधायी प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। न्यायालय को सार्वजनिक नीति की वैधता पर तभी विचार करने के लिए कहा जाता है जब यह चुनौती दी जाती है कि ऐसा नीतिगत निर्णय भारत के संविधान या किसी अन्य वैधानिक अधिकार द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ..."

12. इस मुद्दे पर एक बार फिर "नर्मदा बचाओ आंदोलन" में बहस हुई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नांकित टिप्पणी की:

"229. यह अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे। कोई बुनियादी ढांचा परियोजना होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की परियोजना शुरू की जानी चाहिए तथा उसे कैसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए, ये सभी नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं तथा न्यायालय इस प्रकार लिए गए नीतिगत निर्णय पर निर्णय लेने में अक्षम हैं। निस्संदेह न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि निर्णय लेने में किसी कानून का उल्लंघन न हो तथा संविधान के तहत अनुमेय सीमा को छोड़कर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो...."

13. रिट कोर्ट द्वारा पैराग्राफ संख्या 18(ii) के तहत जारी निर्देश, जिसमें 4 फरवरी 1989 से पहले नियुक्त शिक्षकों को कुछ छूट देने का प्रावधान है, कानून की दृष्टि से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि रिट कोर्ट ने "प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (एस.सी.)" के फैसले की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि 4 फरवरी 1989 का परिपत्र वैध था और बिहार राज्य द्वारा पिछले परिपत्रों, विशेषकर 27 मई 1981 के परिपत्र से अलग

हटना उचित था। "प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (एफ.बी.)" के मामले में फैसला इस आधार पर दिया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पाने का अधिकार है और राज्य सरकार योग्यता मानदंड नहीं बदल सकती थी। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के इस दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, यह पैराग्राफ संख्या 18(ii) को पढ़ने से आसानी से स्पष्ट हो जाता है। "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)" के निर्णय की धारा 90 और 91, वास्तव में, रिट कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ संख्या 18 के तहत वर्तमान मामले में जारी निर्देशों का पूरा आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की गलत व्याख्या पर आधारित है। इस न्यायालय का कोई बाध्यकारी उदाहरण नहीं है जिसे झारखंड राज्य ने नजरअंदाज कर दिया है। यह कहना भी सही नहीं है कि 25 अप्रैल 2018 का संकल्प उसमें निर्धारित कानून के विपरीत तैयार किया गया था।

14. "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"75. भले ही स्कूलों की संख्या के संबंध में कोई विवाद न हो, राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के मद्देनजर और विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल की मान्यता, यदि कोई हो, कुछ स्कूलों को गलत तरीके से दी गई थी, जहां भवन भी पूरे नहीं हुए थे या चयन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी, राज्य के लिए इस मामले में आगे की जांच करना आवश्यक हो सकता है।

76. इसके अलावा यह भी जांचना आवश्यक है कि उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी राज्य के नीतिगत निर्णय के अनुसार मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत निर्धारित उनकी योग्यता की भी जांच की जानी चाहिए।

77. हमें प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि बिहार राज्य के खिलाफ न्यायसंगत रोक का सिद्धांत लागू होगा। यह अब सर्वविदित है कि रोक का नियम तब लागू नहीं होता जब संवैधानिक प्रावधान या कानून के संबंध में विवाद उठाया जाता है। भारत की संवैधानिक योजना के तहत अपने कार्यों के अवैध होने के संबंध में सवाल उठाने का राज्य का अधिकार अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। यदि संवैधानिक प्रावधान के कारण, इसकी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जा सकता है या राज्य किसी नीतिगत निर्णय को वापस लेने या संशोधित करने का इरादा रखता है, तो इस पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, यह कहना एक बात है कि इस तरह की कार्रवाई का नागरिक के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि रोक के नियम को लागू करके, राज्य को उक्त प्रश्न उठाने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। जहां तक दिनांक 18-2-1989 के विवादित परिपत्र का सवाल है, हमारी राय में, संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में राज्य को इसकी वैधता का समर्थन करने का अधिकार है।

78. इतना कहने के बाद, हमें यह मानना होगा कि अंतिम निर्णय राज्य के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए। दिनांक 25-1-2000 के कैबिनेट निर्णय के मद्देनजर, 300 स्कूलों को मान्यता दी गई है। हालांकि, हमें इस बात पर संदेह है कि क्या सभी सही तथ्य कैबिनेट के सामने रखे गए हैं या नहीं, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि छोटानागपुर और संथाल परगना में स्थापित कई स्कूल अब झारखंड राज्य में हैं। हमने इस मामले पर विचार किया है लेकिन हम इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि

तीन सदस्यीय समिति द्वारा पहचाने गए और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलावा, उचित प्राधिकारी द्वारा शेष स्कूलों की मान्यता या अन्यथा के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया था या नहीं। 79. हमारा विचार है कि उक्त प्रयोजन के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।

80. अतः बिहार राज्य के मुख्य सचिव से अनुरोध है कि वे दो अधिकारियों तथा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और/या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की एक समिति गठित करें। यदि किसी न्यायिक अधिकारी को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वह उसका अध्यक्ष होगा। न्यायिक अधिकारियों और/या शिक्षाविद् का पारिश्रमिक आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

81. मुख्य सचिव से अनुरोध है कि वे समिति को राज्य के किसी न किसी विभाग के कर्मचारियों में से अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराएं, जिनकी समिति को आवश्यकता हो।

82. यदि यह पाया जाता है कि शिक्षकों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई है, तो विद्यालय सेवा बोर्ड को कानून के अनुसार नियमित भर्ती करने का निर्देश दिया जाएगा।

83. सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को भी परियोजना विद्यालयों के संबंध में अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष तिथि से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

84. समिति अपीलकर्ताओं के ऐसे सभी व्यक्तिगत मामलों पर भी विचार करेगी, जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 35 में निर्देशित किया गया है।

85. मान्यता का दावा करने वाले या कोई अन्य दावा करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थान तिथि से तीन सप्ताह के भीतर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना अभ्यावेदन दाखिल करेंगे। अपने आवेदनों में संस्थानों को प्रत्येक कक्षा में वर्षवार प्रवेशित छात्रों का विवरण भी देना होगा।

86. यद्यपि अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300 विद्यालयों ने मान्यता प्राप्त होने का दावा किया है, जो कि मंत्रिमंडल के निर्णय से भी स्पष्ट है, हमारा मत है कि कितने विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपने नीतिगत निर्णय के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, इस प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

87. चूंकि समिति के गठन में कुछ समय लग सकता है, इसलिए ऐसे दावे शिक्षा सचिव के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं, जो इस संबंध में एक उपयुक्त प्रकोष्ठ खोलेंगे। समिति संस्थानों और/या शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के दावों की जांच करने के बाद तीन महीने के भीतर मुख्य सचिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

88. मुख्य सचिव से अनुरोध है कि वे उक्त रिपोर्ट को अपनी टिप्पणियों सहित कार्यकारी कार्य नियमावली के अनुसार समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा यह अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकार का उक्त प्राधिकारी चार महीने के भीतर इस पर समुचित निर्णय लेगा।

89. हम इसकी सराहना करेंगे यदि राज्य सरकार उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे जो सरकारी योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अनियमितताओं और/या अवैधताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं।

90. जहां तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आयु का प्रश्न है, तो निर्विवाद रूप से यह 18 वर्ष होनी चाहिए।

91. जहां तक शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता का सवाल है, हमारा मानना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गांवों में, विशेष रूप से लड़कियों में साक्षरता फैलाने के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीमित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, जिला स्कूलों या शहरी क्षेत्रों में गठित सरकारी स्कूलों में अपनाए गए मानक पर जोर नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह अनिवार्य रूप से एक सरकारी कार्य है, यह सवाल कि क्या बीटी प्रशिक्षण या शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ शिक्षकों को उक्त प्रोजेक्ट स्कूलों में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, राज्य पर छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए कानून के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। 92. इन अपीलों का निपटारा उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।”

15. अप्रशिक्षित शिक्षकों को इस शर्त के साथ नियमित करने का निर्देश कि वे निर्धारित अवधि के भीतर शिक्षक प्रशिक्षण/बी.एड. की डिग्री प्राप्त करेंगे, बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 1983 के प्रावधानों और “प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी.)” में दिए गए कथन के विपरीत है। बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 1983 के तहत यह अनिवार्य शर्त है कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के पास नियुक्ति के समय शिक्षक प्रशिक्षण/बी.एड. की डिग्री होनी चाहिए। उक्त नियमावली के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के बाद उम्मीदवार को यह योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। किसी भी प्राधिकारी को इस योग्यता को शिथिल करने की शक्ति भी नहीं दी गई है, जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है।

16. रिट कोर्ट द्वारा दिया गया यह तथाकथित स्पष्टीकरण कि मानक मंडल में 9वां पद “अन्य शिक्षकों” की श्रेणी में आएगा, जिसमें अल्पसंख्यक भाषा, संगीत, कला, वाणिज्य आदि के शिक्षक शामिल होंगे, भी उतना ही असंतुलित है। “रवींद्र कुमार” मामले में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि मानक मंडल में केवल नौ पद होंगे, जिसमें प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका शामिल होंगी। हालांकि, रिट कोर्ट ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को इस संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश देकर प्रोजेक्ट स्कूलों में शिक्षक का 9वां पद सृजित किया है। “रवींद्र कुमार” मामले में पटना उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना है:

“17. निस्संदेह, स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर, राज्य सरकार ने 1981-82 के प्रथम चरण के प्रोजेक्ट स्कूलों के लिए हेडमास्टर/मिस्ट्रेस सहित शिक्षकों के नौ पद स्वीकृत किए हैं। यह पत्र संख्या 705 दिनांक 12 अक्टूबर, 1982 से स्पष्ट होगा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि तीन कक्षाओं वाले स्कूल में पाँच शिक्षकों और चार कक्षाओं वाले स्कूल में नौ शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसी प्रकार, उसी स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर 1988-89 के तीसरे चरण के स्कूल के लिए हेडमास्टर/मिस्ट्रेस सहित शिक्षकों के नौ पद स्वीकृत किए गए हैं, जो 26 अगस्त 1988 के पत्र संख्या 1003 और 1004 से स्पष्ट होगा। राज्य के वकील द्वारा यह भी

स्वीकार किया जाता है कि जब स्कूल निजी प्रबंध समिति के अधीन चल रहे थे, तो स्कूलों की स्थापना की अनुमति और उनकी स्वीकृति कुल शिक्षकों की संख्या के आधार पर दी गई थी, जो कि हेडमास्टर/मिस्ट्रेस सहित नौ थी, जिस आधार पर निजी प्रबंध समिति ने नियुक्तियाँ कीं।”

17. यह भी काफी अजीब है कि रिट कोर्ट ने सहायक शिक्षकों के अवशोषण के लिए निर्देश जारी किया है, जबकि आलम समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। आलम समिति की रिपोर्ट में, कई स्कूल बंद पाए गए और कुछ स्कूलों को अन्य मौजूदा स्कूलों में विलय कर दिया गया था। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया कि कई सहायक शिक्षक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में शामिल हो गए। झारखंड राज्य ने दलील दी है कि प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल अंगारा बंद पाया गया। आगे दलील दी गई है कि प्रतिवादी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जिन्होंने दावा किया है कि वे (i) रांची जिले के तमाड़ में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में काम कर रहे थे; (ii) पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और मुसाबनी; (iii) पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा; (iv) दुमका जिले के गोपीकांदर और रानेश्वर झारखंड राज्य ने स्पष्ट रूप से अपनाया है कि ये शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और नियमितीकरण के लिए विचार के पात्र नहीं हैं।

18. हमारी राय में, रिट कोर्ट ने आलम समिति के निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ करने के लिए एक बहुत ही असामान्य निर्देश जारी किया। शिक्षकों का एक समूह है जो "बंद स्कूलों" की एक अलग श्रेणी में आता है। आलम समिति ने साहेबगंज जिले के तालझारी में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पाकुड़ जिले के अमरापारा में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल और महेशपुर में राजीव गांधी प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल और रांची में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल अंगारा के अभिलेखों की जांच की और इन स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी न देने के लिए विशिष्ट कारण बताए। आलम समिति के समक्ष प्रस्तुत तालझारी में प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के अभिलेखों में उस सरकारी आदेश का खुलासा नहीं हुआ जिसके द्वारा हरिनकोल में इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल को तालझारी में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना के लिए चुना गया था। आलम समिति ने यह राय दी कि इस स्कूल का चयन 3-सदस्यीय समिति द्वारा नहीं किया गया था और हरिनकोल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल एक स्व-घोषित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल था। अमरापारा में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में कोई बुनियादी ढांचा नहीं था और पीने के पानी और शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी। आलम समिति ने पाया कि 1997 से 2003 के बीच सात वर्षों में एक भी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका और अन्य वर्षों में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 से 12 के बीच थी; वर्ष 2006 में 102 विद्यार्थी नामांकित थे। आलम समिति ने पाया कि उक्त विद्यालय में 7 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक नियुक्त दिखाए गए थे लेकिन सतेंद्र कुमार झा, अब्दुल गफ्फार, गिरिधारी दास और राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जो लेटर पेटेंट अपील के इस बैच में प्रतिवादी हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसी तरह, महेशपुर में राजीव गांधी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय का भी चयन तीन सदस्यीय समिति ने नहीं किया। विद्यालय का भवन अधूरा था और उसमें मात्र चार कमरे थे। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेयजल और शौचालय जैसी अन्य कोई सुविधा नहीं थी। अभिलेखों से यह भी पता चला कि मात्र तीन छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता प्राप्त की थी। कहा जाता है कि अंगारा में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल वर्ष 1988 में बने भवन में चल रहा था और वर्ष 2006 में वहां केवल 14 छात्राएं नामांकित थीं। आलम समिति ने आशंका व्यक्त की कि 15 मई 1985 से पहले की गई तथाकथित नियुक्ति संदिग्ध थी। गुमला जिले के बिशुनपुर में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल भी बंद पाया गया। गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल जैसे कुछ स्कूल हैं जो विलय किए गए स्कूल की श्रेणी में आते हैं। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सचिन कुमार ने कहा

है कि कुछ रिट याचिकाकर्ता आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए थे, कुछ पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे और अन्य को स्वीकृत क्षमता से अधिक नियुक्त किया गया था या उनके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं। और, ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जिन्होंने पलामू जिले के पाटन में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल या प्रोजेक्ट सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल में काम करने का दावा किया है।

19. प्रतिवादियों ने 25 अप्रैल 2018 के संकल्प में शर्तों को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया, इस आधार पर कि न्यायालय के वे निर्णय अंतिम हो चुके हैं और झारखंड राज्य पर बाध्यकारी हैं। रिट कोर्ट के समक्ष प्रतिवादियों ने "प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (एफ.बी)", "प्रोजेक्ट उच्च विद्या (एस.सी)", "सुखदेव गोप", "ओम प्रकाश गोप", "लखपत यादव", "सरजू प्रसाद गुप्ता", "कुमुद कुमारी श्रीवास्तव" और "सरबानी बोस" के निर्णयों का हवाला दिया।

20. वर्तमान कार्यवाही में, उत्तरदाताओं ने "दिनेश पीडी" में पारित आदेशों का उल्लेख किया। सिंह", "उमेश क्र. शर्मा", "राम प्रसाद साव", "सुखदेव गोप", "अरबिन्द पाठक", "राजेन्द्र क्र. समद", "अभिलाषा झा", "श्रीमती" स्वर्ण लता", "शंभू लाल", "चुनकू सारंगी", "अरुण कुमार", "सिद्धेश्वर लेयांगी", "निरंजन प्रधान", "लखपत यादव", "सुरेंद्र शर्मा", "सरजू प्रसाद गुप्ता", "शुरू माई मुंडा", "जागोरी सोनार", "रेणु गांगुली", "बजल कुमार मरांडी", "बाल मोहन प्रसाद", "श्रीमती।" देवमणि" और "ताप्ती मिश्रा"।

21. अरस्तू ने कहा कि कानूनों को हल्के में बदलने की आदत बुरी है। हाल के दिनों में, लॉर्ड एवरशेड, एम.आर. ने एक बार कहा था कि इस दृष्टिकोण के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्राधिकरण है कि लंबे समय से चले आ रहे निर्णय जिसके आधार पर कई लोगों ने समय के साथ अपने मामलों को व्यवस्थित किया है, को उच्च न्यायालय द्वारा हल्के में नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं निर्णय से सख्ती से बंधा हुआ नहीं है। न्यायालय के निर्णयों द्वारा तय किया गया कानून का सिद्धांत बाध्यकारी चरित्र प्राप्त करता है और इसी तरह के मामलों में न्यायालयों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। "कृष्ण कुमार" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और भविष्य के सभी मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां तथ्य काफी हद तक समान हैं। "शंकर राजू" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

"10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जो निर्णय लंबे समय से चल रहा है, उसे बदला नहीं जाना चाहिए। स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत को स्टेयर डेसिसिस एट नॉन क्विटा मूवर कहावत में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है "निर्णयों पर अडिग रहना और जो तय हो चुका है, उसमें खलल न डालना।" लॉर्ड कॉक ने अपने क्लासिक अंग्रेजी संस्करण में इसे इस प्रकार वर्णित किया है, "जिन चीजों पर इतनी बार निर्णय लिया गया है, उन्हें शांति से रहना चाहिए।" इस सिद्धांत का अंतर्निहित तर्क स्थिरता बनाए रखना और अनिश्चितता से बचना है। मार्गदर्शक दर्शन यह है कि जो दृष्टिकोण लंबे समय से चल रहा है, उसे केवल इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण संभव है। इसे वामन राव बनाम भारत संघ [(1981) 2 एससीसी 362] में चंद्रचूड़, सी.जे. द्वारा इस प्रकार सटीक रूप से इंगित किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 393, पैरा 40)

"40. ... स्टेयर डेसिसिस के नियम के अनुप्रयोग के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि पहले के निर्णय या लंबे समय से चले आ रहे निर्णयों में उस विशेष तर्क पर विचार किया गया हो और उसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो जो इस मामले में पेश किया गया है। यदि ऐसा होता, तो पिछले निर्णयों को मिसाल के कानून को लागू करके अधिक आसानी से बाध्यकारी माना जा सकता था और स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत का सहारा लेना अनावश्यक होगा। इसलिए, स्टेयर

डेसिसिस के नियम को लागू करने के लिए यह पर्याप्त है कि किसी प्रश्न पर कोई निश्चित निर्णय लिया गया हो जो उठा हो या जिस पर बहस की गई हो, चाहे निर्णय किस कारण पर आधारित हो या निर्णय का आधार क्या हो। दूसरे शब्दों में, स्टेयर डेसिसिस के नियम को लागू करने के उद्देश्य से, यह जांचना या निर्धारित करना अनावश्यक है कि पहले के निर्णय का औचित्य क्या था जिसे स्टेयर डेसिसिस के रूप में संचालित करने के लिए कहा जाता है।"

22. न्यायालय के निर्णयों से प्रभावित व्यक्तियों को वास्तव में यह उचित उम्मीद होगी कि न्यायालय द्वारा समान तथ्यों पर दिए गए पिछले निर्णयों का पालन किया जाएगा। यह मुद्दा न्यायिक अनुशासन और स्वामित्व से संबंधित है जिसके लिए आवश्यक है कि समन्वय पीठ के निर्णय का अन्य न्यायालयों द्वारा पालन किया जाए और उसे हल्के में न लिया जाए। न्याय प्रशासन में निरंतरता, निश्चितता और पूर्वानुमान के लिए यह आवश्यक है। "हरि सिंह" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में समन्वय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को समान तथ्यों या कानून के प्रश्न के संबंध में सुसंगत राय रखनी चाहिए। "हरि सिंह" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. यह सच है कि न्यायालयों द्वारा प्रशासित न्याय प्रणाली में, एक बुनियादी सिद्धांत जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि समन्वित अधिकार क्षेत्र वाली अदालतों को तथ्यों के एक समान समूह या कानून के प्रश्न के संबंध में सुसंगत राय रखनी चाहिए। यदि न्यायालय समान अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्यों के एक समान समूह या कानून के प्रश्न पर अलग-अलग राय व्यक्त करते हैं, तो न्यायिक प्रणाली में सामंजस्य स्थापित करने के बजाय, यह न्यायिक अराजकता को जन्म देगा..."

23. "स्टेयर डेसिसिस एट नॉन क्रिटा मूवर" की उक्ति जिसका अर्थ है "निर्णयों पर अडिग रहना और जो तय हो चुका है उसमें कोई बाधा न डालना" कानूनी प्रणाली में एकरूपता और निश्चितता स्थापित करने के लिए जनहित में विकसित की गई थी। स्टेयर डेसिसिस के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि न्यायालय के किसी निर्णय का न्यायालय द्वारा पालन किया गया हो और उस पर कार्रवाई की गई हो, उसे अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि पिछले निर्णयों का उस सीमा तक पालन नहीं किया जाना चाहिए जिससे गंभीर गलतियां हो सकती हैं। "मकतूल" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत अनिवार्य या अनम्य नहीं है और इसे किस सीमा तक लागू किया जाना है, यह प्रत्येक मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। "साक्षी" इस बात की पुष्टि करता है कि स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत कानून को निश्चितता देता है और लोगों को भविष्य में अपने मामलों को ढालने के लिए मार्गदर्शन करता है। "साक्षी" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"23. स्टेयर डेसिसिस कानूनी न्यायशास्त्र में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत, जिसका अर्थ है तय मामलों पर कायम रहना, इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस कानून से लोग शासित होते हैं, वह निश्चित, निश्चित और ज्ञात होना चाहिए, और जब कानून को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, जिसे इसे बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो ऐसी घोषणा, स्पष्ट गलती या त्रुटि की अनुपस्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदले जाने तक कानून का सबूत होती है। इसके लिए आवश्यक है कि जब कानून के नियमों को अंतिम उपाय के न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित और स्थापित किया जाता है, तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और अलग नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनका पालन किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए। यह इस बात को रोकता है कि जहां कानून का सिद्धांत कई निर्णयों द्वारा स्थापित हो गया है, वह न्यायालयों पर

बाध्यकारी है और इसी तरह के मामलों में उसका पालन किया जाना चाहिए। यह एक स्वस्थ सिद्धांत है जो कानून को निश्चितता देता है और लोगों को भविष्य में अपने मामलों को ढालने के लिए मार्गदर्शन करता है।”

24. हमने नियुक्ति में समानता के लिए आधार तैयार करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित निर्णयों को पढ़ा है। उपर्युक्त मामलों में रिट कोर्ट ने “प्रतिनिधित्व-निपटान” के आदेश पारित किए और इससे अधिक कुछ नहीं। हालाँकि, रिट कोर्ट ने माना कि 25 अप्रैल 2018 का संकल्प इस न्यायालय के पिछले निर्णयों के साथ विरोधाभासी होने के कारण संशोधन की आवश्यकता है। अर्ल ऑफ हेल्सबरी एल.सी. ने “क्लिन” में कहा कि एक मामला केवल इस बात के लिए एक प्राधिकरण है कि वह क्या तय करता है। घोषित कानून को कानून के सिद्धांत के रूप में समझा जाना चाहिए जो निर्णय से निकलता है या कानून या निर्णय की व्याख्या पर आधारित होता है जिस पर मामला तय किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि एक निर्णय जो कारणों पर आधारित नहीं है या कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत किसी मुद्दे पर विचार करने के बाद आगे बढ़ता है, उसे ऐसा कानून नहीं माना जा सकता है जिसका बाध्यकारी प्रभाव हो। “सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ के बिना निष्कर्ष आकस्मिक अवलोकन से भी कमजोर है। “सतीश कुमार गुप्ता” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर याद दिलाया कि कानून के सिद्धांतों के संबंध में बिना किसी विचार के तय किए गए मामले को मिसाल नहीं माना जा सकता। “धनवंती देवी” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्णय देते समय न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात मिसाल नहीं बनती और निर्णय में एकमात्र चीज जो पक्षों को बांधती है वह है वह सिद्धांत जिस पर मामला तय किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि किसी निर्णय का सार उसका अनुपात होता है, न कि उसमें पाया गया हर अवलोकन या निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या निकलता है। “पालीताना शुगर मिल्स” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्यों में थोड़ा सा अंतर या कुछ अतिरिक्त तथ्य किसी निर्णय के मिसाल के मूल्य में बहुत अंतर ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निर्णय इस बात के लिए एक अधिकार है कि वह क्या तय करता है, न कि उससे तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। “मोहम्मद इलियास” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“12. जब आरोप धोखाधड़ी या छल का हो, तो कथित कृत्य जानबूझकर किया गया है या नहीं, यह संबंधित मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा नहीं की और केवल न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करके यह मान लिया कि पूर्वापेक्षित शर्तें अनुपस्थित थीं। मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। एक निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर एक मिसाल होता है। प्रत्येक मामला अपनी विशेषताएं प्रस्तुत करता है। निर्णय देते समय न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात मिसाल नहीं बनती। न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज जो किसी पक्ष को बाध्य करती है, वह है वह सिद्धांत जिस पर मामला तय किया गया है और इस कारण से निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात निर्णायक को अलग करना महत्वपूर्ण है। मिसाल के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी सिद्धांत होते हैं: (i) भौतिक तथ्यों का निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानात्मक। तथ्यों का अनुमानात्मक निष्कर्ष वह अनुमान है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तथ्यों से निकालता है; (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के कथन; और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। एक निर्णय

इस बात के लिए एक प्राधिकार होता है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। एक निर्णय में जो महत्वपूर्ण होता है वह उसका अनुपात होता है न कि उसमें पाया गया प्रत्येक अवलोकन या न ही वह जो निर्णय में किए गए विभिन्न अवलोकनों से तार्किक रूप से निकलता है। जिस कारण या सिद्धांत के आधार पर किसी न्यायालय के समक्ष किसी प्रश्न का निर्णय किया गया है उसका प्रतिपादन ही एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। (देखें उड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा और भारत संघ बनाम धनवंती देवी।) एक मामला एक मिसाल है और जो वह स्पष्ट रूप से निर्णय करता है उसके लिए बाध्यकारी है और इससे अधिक कुछ नहीं। न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्णय को उन विशेष तथ्यों पर लागू के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो साबित हो चुके हैं या साबित माने जा चुके हैं, क्योंकि वहां पाए जाने वाले अभिव्यक्तियों की व्यापकता का उद्देश्य पूरे कानून का विवरण होना नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य होना है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जाती हैं और एक मामला केवल इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है।"

25. प्रतिवादियों ने यह मामला स्थापित किया है कि झारखंड राज्य ने दिनेश पीडी सिंह, राम पीडी को नियमित कर दिया है। साह, सुखेओ गोप, अरबिंद पाठक, सुदामा पीडी, सीताराम, दीनानाथ राम, सुकरा नायक, अरुण कुमार, छुनकू सारंगी, राजेंद्र कुमार, सरयू पीडी. गुप्ता, देवपूजन शर्मा, बजेल क्र. मरांडी, जगोरी सोनार, रघुनाथ साहू, पुष्पावती तिवारी, शक्तिधर प्रधान, इंद्रजीत पीडी, समेरी हांसदा, एच.एस. बाघा, महेश्वर प्रसाद और ताप्ती मिश्रा ने 12 अक्टूबर 1982 के परिपत्र के अनुरूप कार्य किया और ऐसे शिक्षकों को नियमित कर दिया जिनके पास प्रशिक्षण योग्यता नहीं है।

26. प्रतिवादियों ने 14 जून 2011, 12 सितम्बर 2012, 22 दिसम्बर 2013, 3 जून 2013, 20 जून 2013, 11 सितम्बर 2014, 12 फरवरी 2015, 2 फरवरी 2016, 11 अप्रैल 2016, 14 जून 2016, 17 अगस्त 2016, 28 अक्टूबर 2016, 5 अक्टूबर 2016, 9 दिसम्बर 2015, 1 मार्च 2017, 22 मार्च 2017, 17 मार्च 2017, 24 मार्च 2017, 24 जून 2008, 5 फरवरी 2018 और 13 फरवरी 2020 के आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

27. उच्च न्यायालयों का गठन न केवल विधि के न्यायालयों के रूप में किया जाता है, बल्कि समता के न्यायालयों के रूप में भी किया जाता है। हालांकि, साथ ही, उच्च न्यायालय को व्यापक रूप से सार्वजनिक हित सहित सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। "रोशनलाल कुठालिया" 54 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समता कानून का नैतिक आयाम है। "चार्ल्स के. स्कारिया" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां मानवीय न्याय दांव पर लगा हो, वहां समता तकनीकीता पर हावी हो जाएगी। "एस.एस. बोला" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां कानून में बहुत कमियां रह गई हैं, वहां समता आगे आती है। "ए.पी. स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि: "समता हमेशा कानून को चालाकी से बचने और कानून से बचने के लिए नई-नई सूक्ष्मताओं से बचाने के लिए जानी जाती है"। हालांकि, अगर राहत देने से न्याय का हित प्रभावित होता है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। "प्रभु" मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि: "संविधान के संरक्षक के रूप में उच्च न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह न्याय के लिए जहां आवश्यक हो, वहां हस्तक्षेप करके सामाजिक संतुलन बनाए रखे और जहां यह सामाजिक हित और सार्वजनिक भलाई के खिलाफ हो, वहां हस्तक्षेप करने से इनकार करे।" यहां तक कि यह मानते हुए कि उपर्युक्त सहायक अध्यापकों में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं, रिट कोर्ट प्रतिवादियों की नियुक्ति में समानता लागू नहीं कर सकता था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 में एक सकारात्मक अवधारणा है और इसे अवैधता को

बनाए रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह रिकार्ड में दर्ज है कि जिन सहायक अध्यापकों ने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनकी नियुक्ति 2 जनवरी 1981 [एलपीए संख्या 698/2019 के अनुरूप डब्ल्यूपी(एस) संख्या 5474/2017] से 7 दिसंबर 1999 [एलपीए संख्या 138/2019 के अनुरूप डब्ल्यूपी(एस) संख्या 921/2011] के बीच हुई थी और उनमें से बड़ी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति 1985, 1986, 1987 और 1988 के दौरान हुई थी।

28. यह स्वयंसिद्ध है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है, भले ही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कार्यपालिका द्वारा पारित आदेश के कारण लाभ प्राप्त हो, अन्य लोग समान राहत पाने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में गलत निर्णय किसी अन्य पक्ष को ऐसे निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। “बसवराज” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई लाभ अनजाने में या गलती से दिया गया था तो ऐसा आदेश दूसरों को समान राहत पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। “बसवराज” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित माना:

“8. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को आगे बढ़ाकर भी अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि इसका केवल सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत/लाभ दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी वही राहत पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। यदि पहले के किसी मामले में कोई गलती हुई है, तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। समानता एक सामान्य बात है, जिसका दावा अवैधता में नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्चतर या उच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। वैसे भी, अनुच्छेद 14 को बहुत दूर तक नहीं खींचा जा सकता क्योंकि अन्यथा यह प्रशासन के कामकाज को असंभव बना देगा। (देखें चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, आनंद बटन्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, के.के. भल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य।)”

29. “डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समान व्यवहार की अवधारणा समान कानूनी आधार के अस्तित्व को पूर्वधारणा करती है और गलत कार्य की पुनरावृत्ति को अनुमति नहीं देती है। “डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना:

“28. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में इस न्यायालय ने माना है कि दो गलतियां एक सही नहीं बनाती हैं। अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि चूंकि किसी अन्य मामले में कुछ गलत किया गया है, इसलिए उसे कोई अन्य गलत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। यह गलत को सही नहीं ठहराएगा, बल्कि किसी अन्य गलत को कायम रखने जैसा होगा और ऐसे मामलों में कोई भेदभाव शामिल नहीं है। अनुच्छेद 14 के तर्क पर समान व्यवहार की अवधारणा को ऐसे मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन समान

व्यवहार की अवधारणा में समान कानूनी आधार का अस्तित्व होना पूर्वकल्पित है। यह गलत कार्रवाई को बराबरी पर लाने के लिए गलत कार्रवाई को दोहराए जाने का समर्थन नहीं करता है। प्रभावित पक्षों को किसी अन्य आधार पर अपने मामले की मजबूती स्थापित करनी होगी, न कि नकारात्मक गुणवत्ता का दावा करके। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, अपीलकर्ता की दलील में कोई दम नहीं है। यदि कुछ लोगों को गलत तरीके से परमिट दिए गए हैं, तो अपीलकर्ता सरकार द्वारा की गई गलती का लाभ नहीं ले सकता है।”

30. हमारी राय में, यह व्यापक जनहित में नहीं है कि एक शिक्षक जो चौथाई सदी से प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त नहीं कर सका, उसे आलम समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद कट-ऑफ तिथि बढ़ाकर डिग्री प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया जाए। कानून में कोई अधिकार केवल तभी मौजूद होता है जब उसका कोई वैध स्रोत हो। योग्यता निर्धारित करने का उद्देश्य शिक्षण की उत्कृष्टता और मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना है। “प्रमोद कुमार” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पात्रता का अभाव रखने वाला व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसे न्यायालय में लागू किया जा सके। प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई है कि प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की वैधता 4 फरवरी 1989 के पत्र के तहत मान्यता प्राप्त है। हमारी राय में, पद के लिए पात्रता का अभाव रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति गंभीर अवैधता होगी न कि केवल अनियमितता। इस तरह की प्रार्थना के साथ एक रिट याचिका स्वीकार्य नहीं थी और प्रतिवादी इस तरह की राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे क्योंकि उन्हें नियुक्ति मांगने का कानूनी अधिकार नहीं है। “उमादेवी (3)” और “आधिकारिक परिसमापक” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि बिना किसी ब्रेक के भी लंबे समय तक लगातार सेवा नियमितीकरण के दावे को उचित नहीं ठहराएगी। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियाँ विवेकाधीन हैं और न्याय, समानता और अच्छे विवेक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसलिए रिट न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखे और खुद तय करे कि चुनौती के तहत निर्णय/आदेश न्यायालय के हस्तक्षेप का हकदार है या नहीं।

31. कुछ प्रतिवादी दावा कर रहे हैं कि उनके पास 1 जुलाई 1995 से पहले प्राप्त वैध प्रशिक्षण योग्यता है। “भागीरथी प्रसाद डे” मामले में, स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा खरसावां में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में नियुक्त सहायक शिक्षक ने कोलकाता में सिस्टर निवेदिता कॉलेज से वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त की थी। चूंकि श्री भागीरथी प्रसाद डे को एनसीटीई अधिनियम, 1993 के 1 जुलाई 1995 से प्रभावी होने से पहले उक्त डिग्री प्रदान की गई थी, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिस्टर निवेदिता कॉलेज द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक वैध डिग्री थी। अब यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सुलझ गया है और झारखंड राज्य द्वारा इसका पालन किया जाएगा। हालांकि, प्रशिक्षण डिग्री की वास्तविकता और ऐसी डिग्री जारी करने वाले स्कूलों/संस्थानों की जांच की जानी चाहिए और इस संबंध में कोई सामान्य घोषणा नहीं की जा सकती है।

32. प्रतिवादी एससी/एसटी और महिला श्रेणियों से संबंधित अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए 22 नवंबर 2023 के संकल्प के आधार पर भी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सचिन कुमार ने प्रस्तुत किया कि एलपीए संख्या 430/2019, 473/2019, 540/2019, 541/2019, 592/2019, 641/2019, 654/2019, 705/2019, 711/2019, 784/2019, 840/2019, 867/2019, 921/2019, 24/2020, 51/2020, 79/2020,

131/2020, 346/2019, 134/2020, 155/2020 और एलपीए संख्या 40/2020 में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को 22 नवंबर 2023 के संकल्प के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, यदि अन्यथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य पाया जाता है। इन लेटर्स पेटेंट अपीलों को तदनुसार 11 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुसार वापस ले लिया गया।

33. अंत में, रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ अलग-अलग थीं और ऐसी रिट याचिकाओं का निपटारा एक सामान्य आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता था। कई रिट याचिकाओं में सहायक शिक्षकों द्वारा उनकी सेवाओं को मान्यता देने की प्रार्थना की गई है। जबकि, कुछ शिक्षक 9 फरवरी 2011 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 1989 से मौद्रिक लाभ सहित परिणामी राहत भी मांग रहे हैं। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि सहायक शिक्षकों की तीन अलग-अलग श्रेणियाँ हैं अर्थात् (i) जिनके प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता नहीं दी गई है (ii) एससी, एसटी और महिला श्रेणियों से संबंधित अप्रशिक्षित शिक्षक और (iii) दूसरे चरण के विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षक जो पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार पात्र हैं। शिक्षकों की एक चौथी श्रेणी भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे "बंद विद्यालयों" में काम कर रहे हैं। यह दर्शाने के लिए कि रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ विविध और व्यापक थीं, हम सिविल रिट याचिका संख्या 921/2011 में की गई प्रार्थनाओं को पुनः उद्धृत करेंगे, जो इस प्रकार हैं:

i) प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर से दिनांक 09 सितम्बर 2010 को ज्ञापन संख्या 4174 के तहत जारी आदेश को निरस्त करने के लिए, जिसमें और जिसके तहत एक समिति के आधार पर उनकी सेवाओं की मान्यता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है, जो कि विधि-बाह्य है और वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत है और जिसके आधार पर प्रतिवादी ने कार्य किया है और इसके अलावा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी पूरी तरह से गलत व्याख्या की है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को, जो वर्ष 1984-85 के प्रोजेक्ट स्कूल के कर्मचारी हैं, वर्ष 1981-82 के प्रोजेक्ट स्कूल के समान ही समान व्यवहार दिया जाए और इसके अलावा 300 स्कूलों में से 89 स्कूल झारखंड राज्य के क्षेत्र में हैं और उन्हें बिहार के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों की तुलना में अलग व्यवहार दिया गया है और यह बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधिदेश के विपरीत होने के साथ-साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है;

ii) प्रतिवादी संख्या 5 को बिहार राज्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित तीन सदस्यीय समिति की अनुशंसा तथा वर्ष 1984-85 के प्रोजेक्ट स्कूल के कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनाए गए मानदण्ड को अप्रेषित करने का निर्देश दिया जाए;

iii) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाओं को मान्यता दें, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, तथा उन्हें उनके संबंधित पदों पर आमेलित करें तथा 1.1.1989 से वर्तमान तक उनके वेतन का भुगतान करें, क्योंकि स्कूल को योजना के तहत अधिग्रहित कर लिया गया है तथा याचिकाकर्ताओं का मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना की पूर्ण पीठ के निर्णय, 2000 (1) पीएलजेआर 287 में रिपोर्ट, द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है;

v) 2000 (1) पीएलजेआर 287 में रिपोर्ट की गई पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश की कथित अवज्ञा के लिए झारखंड राज्य के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के

लिए, क्योंकि आरोपित आदेश माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों / निर्देशों के विपरीत है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है।

34. झारखंड राज्य ने यह रुख अपनाया है कि 25 अप्रैल 2018 के संकल्प को रिट कोर्ट के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी गई। हालांकि, अभिलेखों के सत्यापन पर, हमने पाया कि डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 7403/2012, 4881/2017 और 921/2011 में 25 अप्रैल 2018 के संकल्प को चुनौती देने के लिए अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके विपरीत, रिट कोर्ट ने सरकार के निर्णय को न्यायालय में पेश किए जाने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की थी कि सरकारी निर्णय में मामले के हर पहलू पर विचार किया गया था। रिट कोर्ट इस तथ्य से भी अवगत था कि 25 अप्रैल 2018 का सरकारी निर्णय झारखंड राज्य का नीतिगत निर्णय है। 26 अप्रैल 2018 के आदेश में, रिट कोर्ट ने दर्ज किया कि 25 अप्रैल 2018 का सरकारी निर्णय न्यायालय के फैसले और सरकार के पिछले फैसलों के अनुरूप था डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 921/2011 और बैच मामलों में पारित दिनांक 26 अप्रैल 2018 का आदेश निम्नानुसार है:

“यह मामला प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं की मान्यता से संबंधित है।

दिनांक 09.04.2018 को, इस न्यायालय ने सचिव को, जो न्यायालय में उपस्थित हैं, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

आज, जब मामला उठाया गया, श्री जय प्रकाश, अपर महाधिवक्ता, इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों और 12.03.2018 को दिए गए विशिष्ट निर्देश के मद्देनजर प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को संलग्न करते हुए एक हलफनामा लेकर आए हैं।

हलफनामे और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को देखने के बाद। दिनांक 25.04.2018 का आदेश, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा पारित एवं अनुमोदित किया जा चुका है, तथा राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, महामहिम राज्यपाल झारखंड के आदेशानुसार विभाग के सचिव ने दिनांक 25.04.2018 को वर्तमान अधिसूचना जारी की है, जो राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

नीतिगत निर्णय का अध्ययन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ-साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय तथा आलम समिति की रिपोर्ट और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित इस न्यायालय के कई आदेशों को ध्यान में रखते हुए मामले के प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई है।

हालांकि, चूंकि हलफनामा आज ही दाखिल किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रतिवादियों द्वारा दाखिल हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगते हैं। अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत मामले में उपस्थित प्रत्येक वकील को हलफनामे की एक प्रति दें।

चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए इस मामले को 16.05.2018 को पेश किया जाए।”

35. हालांकि, रिट कोर्ट ने झारखंड राज्य को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना 5 सितंबर 2018 को सरकारी प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी; उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। स्वाभाविक रूप से, रिट कोर्ट के आदेश में झारखंड राज्य की ओर से अपनाए गए रुख और पेश की गई दलीलों के बारे में बहुत अधिक संदर्भ नहीं है। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है और रिट कोर्ट न्याय, समानता और अच्छे विवेक को आगे बढ़ाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करता है, अन्यथा नहीं। निर्णयों की एक श्रृंखला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि रिट कोर्ट मामले में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है और उस उद्देश्य के लिए, रिट कोर्ट को (i) यह जांच करनी चाहिए कि क्या राहत मांगने के लिए पर्याप्त दलीलें हैं; (ii) क्या मांगी गई राहत सीमा या किसी कानून द्वारा वर्जित है; और (iii) क्या रिट याचिकाकर्ता निजी कानून या सार्वजनिक कानून के दायरे में उपाय चाहता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, रिट कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया और झारखंड राज्य आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसे रिट कोर्ट के समक्ष प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिट कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का भी उल्लंघन किया और झारखंड राज्य के नीतिगत निर्णय को संशोधित करने के निर्देश जारी किए।

36. उपर्युक्त कारणों से, रिट कोर्ट द्वारा 5 सितंबर 2018 को डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 921/2011 तथा समरूप मामलों में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, तथा फलस्वरूप, इन लेटर्स पेटेंट अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

37. लंबित आई.ए. का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

मैं सहमत हूँ।

(अनुभा रावत चौधरी, जे.)

(अनुभा रावत चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 19 जनवरी 2024

आर.के./अमित/तनुज

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।